



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 77 राँची, सोमवार, 11 फाल्गुन, 1947 (श०)
2 मार्च, 2026 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

22 जनवरी, 2026

संख्या-एल0जी0-05/2025-01/लेज०, झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-20/01/2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2025

(झारखण्ड अधिनियम-01, 2026)

विषयसूची

प्रस्तावना

- संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ
- परिभाषाएं
- झारखंड राज्य कोचिंग सेंटर नियामक प्राधिकरण
- प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन और नियुक्ति

5. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल और सेवा की शर्तें
6. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का इस्तीफा और निष्कासन
7. प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य
8. प्राधिकरण की प्रक्रिया
9. जिला कोचिंग सेंटर नियामक समिति
10. जिला कोचिंग सेंटर नियामक समिति की शक्तियाँ और कर्तव्य
11. समिति की प्रक्रिया
12. प्राधिकरण और समिति के कोष, वित्त और अंकेक्षण
13. कोचिंग सेंटर का पंजीकरण और स्थापना
14. विद्यार्थियों का पंजीकरण
15. मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं का पंजीकरण
16. ट्यूटर्स का पंजीकरण
17. कोचिंग सेंटर का संचालन
18. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन
19. व्याख्या
20. आदेश जारी करने की शक्ति
21. सभी कार्यों और आदेशों का संरक्षण
22. रिक्ति आदि के कारण कार्यों और कार्यवाहियों को अमान्य नहीं ठहराया जाएगा
23. अभिलेखों का रखरखाव
24. कोचिंग सेंटर के स्थानांतरण संबंधी बंधेज
25. जांच करने की शक्ति
26. शिकायतों का निपटारा और जुर्माना लगाना
27. कोचिंग सेंटर का समापन
28. नियम बनाने की शक्ति
29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
30. संस्थानों के लिए छूट
31. आधिकारिक पाठ की भाषा
32. अन्य कानूनों पर अधिनियम की प्रधानता

झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2025**प्रस्तावना**

कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण, नियंत्रण, विनियमन एवं न्यूनतम मानकों के निर्धारण, विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखने, उन्हें कैरियर मार्गदर्शन और मानसिक कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने, कोचिंग सेंटरों में नामांकित विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने और उनमें तनाव कम करने के लिए उचित उपाय करने, तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश आदि में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सहायता और समग्र विकास प्रदान करने एवं उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में झारखंड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

- (1) इस अधिनियम को झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2025 कहा जाएगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।
- (3) यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) “प्राधिकरण” से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित झारखंड राज्य कोचिंग सेंटर विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ख) “बोर्ड” से अभिप्रेत है कोई ऐसा शिक्षा बोर्ड, जो माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं को संचालित करने और प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और अधिकृत हो;
- (ग) “कोचिंग” से अभिप्रेत है भौतिक या ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में 50 से अधिक विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की किसी भी शाखा में ट्यूशन, निर्देश या मार्गदर्शन, लेकिन इसमें परामर्श, खेल, नृत्य, रंगमंच और अन्य रचनात्मक गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं;
- (घ) “कोचिंग सेंटर” से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित, संचालित या शासित केंद्र, जो 50 से अधिक विद्यार्थियों को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर किसी अध्ययन कार्यक्रम या प्रतियोगी परीक्षाओं या शैक्षणिक सहायता के लिए कोचिंग प्रदान करता है;

- (ड) “समिति” से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 9 के तहत गठित जिला स्तरीय कोचिंग सेंटर विनियामक समिति;
- (च) “अंगीभूत महाविद्यालय” से अभिप्रेत है ऐसे महाविद्यालय जिनकी स्थापना, अनुरक्षण एवं संचालन राजकीय विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है;
- (छ) “उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग” से अभिप्रेत है झारखंड सरकार का उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, या जिस भी नाम से इसे पुकारा जाए;
- (ज) “फ्रेंचाइज़ी अनुबंध” से अभिप्रेत है दो व्यक्तियों के बीच किया गया एक विधिक रूप से बाध्यकारी अनुबंध, जो झारखंड राज्य में कोचिंग संचालित करने के प्रयोजनार्थ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपने विधिक नाम के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु हस्ताक्षरित किया गया हो, और जिसमें फ्रेंचाइज़ी शुल्क या रॉयल्टी, अवधि, व्यय तथा राजस्व का विभाजन, समाप्ति के आधार तथा दायित्व सहित, किन्तु इन्हीं तक सीमित न रहने वाले, ब्यौरे उपबंधित हों;
- (झ) “संस्था” से अभिप्रेत है एक स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय या कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान जो किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो या संबद्ध हो या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित या मान्यता प्राप्त हो; या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित हो;
- (ञ) “जांच समिति” से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 13 या धारा 26 के तहत गठित समिति;
- (ट) “व्यक्ति” से अभिप्रेत है एक व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह या एक निगमित निकाय, या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित एक सीमित देयता भागीदारी या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत एक कंपनी;
- (ठ) “निर्धारित” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;
- (ड) “कार्यक्रम प्रबंधन प्रकोष्ठ” से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 09 के अधीन जिला स्तरीय कोचिंग सेंटर विनियामक समिति द्वारा जिला स्तर पर स्थापित एक समर्पित प्रकोष्ठ;
- (ढ) “भारतीय पुनर्वास परिषद” से अभिप्रेत है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण को विनियमित करने और केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर के रखरखाव के लिए स्थापित वैधानिक परिषद;
- (ण) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है झारखंड राज्य सरकार;
- (त) “राज्य विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा स्थापित, प्रबंधित और अनुरक्षित विश्वविद्यालय;
- (थ) “ट्यूटर” से अभिप्रेत है जो किसी कोचिंग सेंटर में पूर्णकालिक रोजगार या अंशकालिक संलग्नता के आधार पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन या प्रशिक्षण देता है या कोचिंग प्रदान करता है;

- (द) “विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है कोई ऐसा विश्वविद्यालय, जो संसद के किसी अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित हो, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यताप्राप्त हो; तथा
- (ध) “वेब पोर्टल” से अभिप्रेत है विद्यार्थियों, ट्यूटर्स, मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं और कोचिंग केन्द्रों के पंजीकरण, आवेदनों के सम्पूर्ण प्रबंधन तथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी आदेशों के अंतर्गत अन्य प्रावधानों के संचालन के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विकसित और अनुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल।

3. झारखंड राज्य कोचिंग सेंटर नियामक प्राधिकरण

- (1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, झारखंड राज्य कोचिंग सेंटर विनियामक प्राधिकरण नामक एक राज्य स्तरीय प्राधिकरण गठित किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियत की गई तिथि से प्रभावी होगा।
- (2) प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी, तथा उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारित करने और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।
- (3) प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे: -
 - (क) सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी जो प्रधान जिला न्यायाधीश के पद से अन्यून हो-अध्यक्ष;
 - (ख) राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून सेवानिवृत्त पदाधिकारी जिसे प्रशासनिक मामलों को संभालने का पूर्व अनुभव हो - उपाध्यक्ष सह सदस्य; तथा
 - (ग) उपभोक्ता मामले और शिकायत निवारण में पूर्व अनुभव रखने वाला राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून सेवानिवृत्त पदाधिकारी – सदस्य।
- (4) प्राधिकरण का एक सचिव होगा जो राज्य सरकार के अवर सचिव से अन्यून पद का पदाधिकारी होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (5) प्राधिकरण की बैठकों के लिए गणपूर्ति 02 (दो) सदस्यों से निर्धारित की जाएगी, जिसमें अध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी:

बशर्ते कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियों के साथ सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- (6) प्राधिकरण सामान्यतः प्रत्येक माह न्यूनतम 01 (एक) बैठक अथवा अध्यक्ष के निदेशानुसार बैठक आयोजित करेगा। अध्यक्ष प्राधिकरण की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में अन्य विषय-विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकते हैं।
- (7) झारखंड सरकार का उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्राधिकरण को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।

4. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन और नियुक्ति

- (1) अध्यक्ष सहित प्राधिकरण के सभी सदस्यों की नियुक्ति उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी।
- (2) अध्यक्ष सहित प्राधिकरण के सभी सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पद की रिक्ति की संभावित तिथि से कम से कम छह माह पूर्व शुरू होगी और नियुक्ति की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पद की रिक्ति की संभावित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व पूरी हो जाएगी:
 बशर्ते कि प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इस अधिनियम के अधिनियमन के 06 माह के भीतर की जाएगी।
- (3) प्राधिकरण के सचिव की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद रिक्त न रहे।

5. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल और सेवा की शर्तें

- (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से पाँच साल की अवधि के लिए, या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।
- (2) किसीको अध्यक्ष या सदस्य के पद पर एक से अधिक कार्यकाल के लिए उसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- (3) अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें नियमों में निर्धारित अनुसार होंगी।

6. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का इस्तीफा और निष्कासन

- (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को संबोधित लिखित अनुरोध पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे, जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकार किए जाने पर लागू होगा:
 बशर्ते कि, यदि त्यागपत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना, इसकी प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर नहीं दी जाती है, तो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा।
- (2) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, आदेश द्वारा, अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को पद से हटा सकता है, यदि वह:-
 - (क) किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो; या
 - (ख) अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी सवेतन रोजगार करता है; या
 - (ग) उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण या राज्य सरकार के हित के लिए हानिकारक किसी चूक या कार्य में लिप्त होने के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है; या
 - (घ) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की राय में राज्य सरकार के सर्वोत्तम हित में कार्य नहीं कर रहा है या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत सौंपे गए कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है; या

(ड) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की संतुष्टि के अनुरूप प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है।

- (3) इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य कदाचार या अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर हटाए जाने योग्य होंगे।
- (4) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को उपधारा (2) में उल्लिखित आधारों पर, जांच किए जाने और अभ्यावेदन करने का अवसर दिए जाने के पश्चात् ही, नियमों में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाएगा।

7. प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य

- (1) प्राधिकरण, समिति के आदेश के विरुद्ध, इस अधिनियम की प्रासंगिक और लागू धाराओं के अंतर्गत, ऐसे किसी आदेश के जारी होने के 30 (तीस) दिन के भीतर, प्राप्त अपील पर विचार करेगा।
- (2) प्राधिकरण 30 (तीस) दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर न करने के पर्याप्त कारण हैं।
- (3) प्राधिकरण अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, अपील प्राप्ति के 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर उसका निपटारा करेगा।
- (4) यदि प्राधिकरण द्वारा 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर अपील का निपटारा नहीं किया जाता है, तो समिति द्वारा पारित मूल आदेश वैध रहेगा।
- (5) प्राधिकरण कोचिंग सेंटरों और अन्य संबद्ध गतिविधियों जैसे विद्यार्थियों, कोचिंग सेंटरों और उनके कर्मचारियों के पंजीकरण, शिकायत निवारण प्रणाली, कोचिंग सेंटरों द्वारा सूचना के प्रकटीकरण आदि की संपूर्ण निगरानी के लिए एक ऑनलाइन वेब-पोर्टल के विकास की देखरेख करेगा।
- (6) प्राधिकरण आवश्यकतानुसार समिति(यों) के कार्य निष्पादन की निगरानी करेगा तथा इस अधिनियम के प्रावधानों या बनाए गए नियमों या इसके अधीन जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित समितियों को निर्देश देगा।
- (7) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि कोचिंग सेंटरों के अभिभावकों, विद्यार्थियों और ट्यूटरों की शिकायतों का निवारण समिति द्वारा समयबद्ध तरीके से किया जाए।
- (8) प्राधिकरण को कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर, वह किसी कोचिंग सेंटर की जाँच करवाएगा और उसके अभिलेखों को तलब करेगा। कोचिंग सेंटर का मालिक या प्रभारी व्यक्ति जाँच के दौरान प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित ऐसे सभी अभिलेख प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (9) प्राधिकरण को विशिष्ट प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए समिति से कोई भी जानकारी मांगने की शक्ति होगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
- (10) प्राधिकरण को राज्य सरकार से अनुदान या सहायता प्राप्त करने वाले कोचिंग सेंटर के खातों की अंकेक्षण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के द्वारा नियमित अंतराल पर कराने की शक्ति होगी।

- (11) प्राधिकरण को समिति की अनुशंसा पर, नियमों में निर्धारित तरीके से, व्यक्ति को काली सूची में डालने का अधिकार होगा।
- (12) प्राधिकरण के पास वे सभी शक्तियाँ होंगी और वह ऐसे अन्य कार्य करेगा जो नियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँ।

8. प्राधिकरण की प्रक्रिया

- (1) प्राधिकरण, अपीलों की सुनवाई और निपटान के प्रयोजनों के लिए, अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत प्रदत्त है, और सक्षम होगा कि –
 - (क) किसी ऐसे आदेश के निष्पादन पर रोक लगाए जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ऐसी शर्तों पर जैसा वह उचित समझे; तथा
 - (ख) किसी ऐसे आदेश के निष्पादन पर रोक लगाए जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ऐसी शर्तों पर जैसा वह उचित समझे।
- (2) प्राधिकरण के समक्ष दायर की गई प्रत्येक अपील के साथ नियमों द्वारा निर्धारित एक गैर-वापसी योग्य शुल्क संलग्न होगा।
- (3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी विपरीत करार या संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा दायर और निपटाए गए अपील पर उसका निर्णय सभी संबंधित पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- (4) यदि कोई कोचिंग सेंटर, बिना किसी उचित कारण के, प्राधिकरण द्वारा जारी किसी निर्देश या आदेश का उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में विफल रहता है, तो ऐसे कोचिंग सेंटर को इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ माना जाएगा और वह इस अधिनियम की धारा 26 के तहत यथा-उपबंधित दंड का भागी होगा।

9. जिला कोचिंग सेंटर नियामक समिति

- (1) राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली ऐसी तारीख से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य के प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसे जिला कोचिंग सेंटर नियामक समिति के नाम से जाना जाएगा।
- (2) समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्: -
 - (क) उपायुक्त – अध्यक्ष;
 - (ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक – सदस्य;
 - (ग) जिले के किसी भी अंगीभूत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, जिन्हें संबंधित राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा - सदस्य;
 - (घ) जिला रोजगार पदाधिकारी – सदस्य; तथा
 - (ङ) जिला शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य सचिव।

- (3) समिति के नामित सदस्य को हटाया जा सकेगा, यदि वह कोई ऐसा कार्य करता है जो अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप नहीं है, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाए:

बशर्ते कि, किसी भी मनोनीत सदस्य को सुनवाई का अवसर दिए बिना समिति से नहीं हटाया जाएगा।

- (4) यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष समिति की बैठकों के लिए अन्य अधिकारियों या जिला स्तरीय पदाधिकारियों को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं।
- (5) समिति एक कार्यक्रम प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन करेगी, जिसका नेतृत्व एक कार्यक्रम प्रबंधक तथा विधिवेत्ता या वित्त या सूचना प्रौद्योगिकी आदि के विशेषज्ञ करेंगे और यह आवेदनों की प्रारंभिक जांच में समिति की सहायता करेगी तथा उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति पर अपनी अनुसंसा समिति को प्रदान करेगी।
- (6) कार्यक्रम प्रबंधन प्रकोष्ठ की संरचना, सदस्यों की पात्रता मानदंड, नियुक्ति या चयन का तरीका, सेवा की शर्तें तथा वेतन एवं भत्ते नियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
- (7) समिति अध्यक्ष की आवश्यकतानुसार नियमित रूप से बैठकें आयोजित करेगी।
- (8) समिति की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों के आधे से निर्धारित किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष और सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

10. जिला कोचिंग सेंटर नियामक समिति की शक्तियाँ और कर्तव्य

- (1) समिति को निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य प्राप्त होंगी, अर्थात: -

- (क) सुनिश्चित करना कि उसके क्षेत्राधिकार के तहत पंजीकृत सभी कोचिंग केंद्र इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करें;
- (ख) जिले के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के कोचिंग सेंटर के पंजीकरण या स्थापना के लिए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना;
- (ग) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेश के प्रावधानों के संचालन से संबंधित किसी भी मामले पर जानकारी या रिपोर्ट मांगना या सत्यापन करना, निर्देश जारी करना अथवा जिला स्तरीय पदाधिकारियों को प्राधिकृत करना;
- (घ) यह अनिवार्य करना कि व्यक्तियों, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए जिला या ब्लॉक स्तर पर हेल्पलाइन स्थापित की जाए और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाए;
- (ङ) जिले के सभी पंजीकृत कोचिंग सेंटरों और इस अधिनियम के तहत उनके द्वारा की गई किसी भी शिकायत या उल्लंघन के लिए भौतिक और डिजिटल रूप में रिकॉर्ड संधारित रखना;
- (च) इस अधिनियम के प्रावधानों, या उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा जारी किए गए आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में, कोचिंग सेंटर पर दंड अधिरोपित करना तथा संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई परफॉरमेंस बैंक गारंटी को भुनाना;

- (छ) कार्यक्रम प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना करना तथा आवश्यकतानुसार तकनीकी, अवसंरचनात्मक और मानव संसाधन सुविधाओं या संसाधनों की उपलब्धता करके समयबद्ध तरीके से इसके संचालन की देखरेख करना;
 - (ज) कोचिंग केंद्रों से संबंधित कदाचारों पर नियंत्रण रखना, जिसमें मिथ्या विज्ञापन, झूठे दावे, लुभावने प्रस्ताव, निश्चित चयन जैसी प्रथाएं सम्मिलित हैं, परंतु केवल इन्हीं तक यह सीमित नहीं हैं;
 - (झ) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उपयुक्त निर्देश जारी करके छात्रों या अभिभावकों या कोचिंग सेंटर द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना और उनका निपटारा करना;
 - (ञ) छात्रावासों या विद्यार्थियों के किसी अन्य आवास वाले क्षेत्रों में नियमित पुलिस गश्त को सुनिश्चित करना;
 - (ट) पंजीकरण शुल्क, शास्ति शुल्क या किसी अन्य स्रोत (राज्य सरकार से अनुदान को छोड़कर) से प्राप्त राशि के लिए, जैसा कि इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत या इस संबंध में जारी आदेशों द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी गई है, राज्य सरकार द्वारा निधि रखने के लिए अनुमति प्राप्त किसी भी अनुसूचितवाणिज्यिक बैंक में एक अलग बैंक खाता संधारित रखना; तथा
 - (ठ) नियमों द्वारा निर्धारित अन्य कर्तव्यों का पालन करना।
- (2) समिति के पास ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी और वह ऐसे अन्य कर्तव्य करेगा जो नियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँ।

11. समिति की प्रक्रिया

- (1) समिति को इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :-
- (क) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना;
 - (ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुति के योग्य किसी अभिलेख अथवा भौतिक वस्तु की खोज करना तथा उसकी प्रस्तुति की मांग करना;
 - (ग) हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
 - (घ) सार्वजनिक अभिलेखों की मांग;
 - (ङ) गवाहों के परीक्षण के लिए आदेश जारी करना;
 - (च) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना; तथा
 - (छ) कोई अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
- (2) समिति, जैसा वह उचित समझे, किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या मामले में ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकती है, जो उपयुक्त हो।

- (3) समिति, अगर ऐसा उचित समझे तो, किसी को, अपने समक्ष कार्यवाही में विद्यार्थियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत कर सकती है।
- (4) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी विवादों का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए शीघ्रता से किया जाएगा।

12. प्राधिकरण और समिति के कोष, वित्त और अंकेक्षण

- (1) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण और समिति को अनुदान प्रदान कर सकती है, जैसा वह प्राधिकरण और समिति के संचालन के लिए आवश्यक समझे।
- (2) इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण और समिति का सरकारी खजाने में अलग-अलग पर्सनल डिपॉजिट (पी डी) खाता होगा।
- (3) इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा निधि रखने के लिए अनुमति प्राप्त किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में प्राधिकरण एवं समिति का अपना समर्पित बैंक खाता होगा, जिसमें आवेदन शुल्क, जुर्माने और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अन्य स्रोत से प्राप्त निधियों से प्राप्त समस्त आय जमा की जाएगी।
- (4) प्राधिकरण और समिति का व्यय राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों या प्रक्रिया के अनुसार उनके द्वारा संचालित पर्सनल डिपॉजिट (पी डी) खाते और बैंक खाते से किया जाएगा।
- (5) प्राधिकरण या समिति का कोई भी पदाधिकारी जो उपधारा (4) में उपबंधित नियमों या प्रक्रियाओं या इस संबंध में राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए व्यय करता है, ऐसे उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा।
- (6) प्राधिकरण और समिति प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्रारूप और ऐसे समय पर, जैसा निर्धारित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार करेंगे, जिसमें अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शाए जाएंगे, और उसे आवश्यक अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे।
- (7) प्राधिकरण और समिति का अध्यक्ष स्वयं तथा प्राधिकरण और समिति के अन्य सभी अधिकारियों के संबंध में क्रमशः नियंत्रण पदाधिकारी होगा और ऐसी सभी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जो प्राधिकरण या समिति के अध्यक्ष के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष में सामान्यतः निहित होती हैं।
- (8) प्राधिकरण के सचिव और समिति के सदस्य सचिव निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे और वे प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त कार्यालय प्रमुख में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
- (9) प्राधिकरण और समिति खातों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेंगे, जिनकी आंतरिक रूप से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से अंकेक्षण की जाएगी और ऐसे खातों को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- (10) प्राधिकरण और समिति अपने वार्षिक लेखा संवरण यथाशीघ्र ऐसे प्रारूप में खातों का विवरण तैयार करेंगे और उसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें

अधिनियम), 1971 की धारा 14 के अंतर्गत अंकेक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि तक महालेखाकार को भेजेंगे।

- (11) राज्य सरकार, प्राधिकरण एवं समिति/समितियों के खातों का परीक्षण लेखा (टेस्ट ऑडिट) या पूर्ण अंकेक्षण (पूर्ण ऑडिट) नियमित अंतराल पर कराए जाने की व्यवस्था करेगी, जिसे नियमों द्वारा निर्धारित अनुसार प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखंड या अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, झारखंड द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा संपन्न कराया जाएगा।
- (12) प्राधिकरण और समिति के वार्षिक लेखे तथा उन पर अंकेक्षण प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजी जाएगी।
- (13) प्राधिकरण का यह दायित्व होगा कि वह प्राधिकरण और समिति द्वारा किए गए कार्यों पर प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त के भीतर राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

13. कोचिंग सेंटर का पंजीकरण और स्थापना

- (1) इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व झारखंड राज्य में कोचिंग सेंटर संचालित करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के लागू होने के 06 (छह) महीने के भीतर या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विस्तारित समय के भीतर, नियमों द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा:

बशर्ते कि, यदि कोई व्यक्ति जो कोचिंग सेंटर चला रहा है, उपरोक्त वर्णित अवधि या समय के भीतर आवेदन नहीं करता है, तो इसे इस अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा तथा इस अधिनियम या बनाए गए नियमों या इसके तहत जारी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा।

- (2) उपधारा (1) में उल्लिखित समिति को प्रस्तुत किए गए ऐसे सभी आवेदनों पर समिति द्वारा उनके प्रस्तुत किए जाने से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा:

बशर्ते कि, यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है और प्राधिकरण में अपील के बाद भी अस्वीकार कर दिया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा अपील अस्वीकार किए जाने के 6 (छह) महीने के भीतर कोचिंग सेंटर का समापन हो जाएगा, और ऐसे कोचिंग सेंटरों के लिए कोई नया प्रवेश/नामांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (3) कोई भी व्यक्ति जो कोचिंग प्रदान करना चाहता है या कोचिंग सेंटर स्थापित या संचालित करना चाहता है, वह संबंधित समिति को वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा, जिसके साथ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित एक गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क संलग्न होगा।
- (4) यदि कोचिंग सेंटर चलाने वाले व्यक्ति के पास जिले के भीतर या बाहर कई परिसर या शाखाएं हैं, तो ऐसे प्रत्येक परिसर या शाखा को अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा और संबंधित जिले में प्रत्येक शाखा या परिसर के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (5) यदि कोई व्यक्ति फ्रैंचाइजी अनुबंध के माध्यम से कोचिंग सेंटर का संचालन कर रहा है या संचालन के लिए आवेदन कर रहा है, तो पंजीकरण के लिए आवेदन फ्रैंचाइजी की ओर से

फ्रेंचाइजर द्वारा किया जायेगा एवं यह फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी की संयुक्त जिम्मेदारी होगी कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए नियमों या जारी आदेशों का पूर्ण और निरपेक्ष अनुपालन सुनिश्चित करें।

(6) कोचिंग सेंटर की स्थापना या पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित पहलुओं के बारे में जानकारी शामिल होगी, अर्थात्:-

(क) आधारभूत संरचना :-

- (i) कोचिंग सेंटर के संचालन का स्थान, जियोटैग किए गए निर्देशांकों के साथ;
- (ii) कोचिंग सेंटर के संचालन के स्थान के लिए आवेदन करने वाली मूल संरचना का पूर्ण और भार मुक्त स्वामित्व या पट्टा।
- (iii) उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी अधिभोग प्रमाण पत्र, जिसमें परिचालन स्थल का उपयोग केवल वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किए जाने का उल्लेख हो, यदि लागू हो;
- (iv) कोचिंग सेंटर में नामांकित प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कक्षा के न्यूनतम एक वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र का आवंटन, समवर्ती रूप से संचालित होने वाले बैचों के लिए, और नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त सहायक बुनियादी ढांचा होगा;
- (v) शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016; झारखंड भवन उपनियम, 2016; और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 या अन्य मानकों के लागू प्रावधानों के अनुसार संचालन स्थल का अनुपालन और उपयुक्त वैधानिक या नियामक प्राधिकरण से अग्नि और भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना या प्राप्त कर लिया है;
- (vi) प्राथमिक चिकित्सा किट और चिकित्सा सहायता, आपातकालीन सेवाओं के लिए डॉक्टर और संचालन स्थल के सभी प्रमुख स्थानों पर सभी आपातकालीन सेवाओं और महिला हेल्पलाइन का विवरण प्रदर्शित करें या प्रदर्शित किया है;
- (vii) पूर्णतः विद्युतीकृत, अच्छी तरह हवादार, प्रत्येक कक्षा में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ संचालन स्थल;
- (viii) कोचिंग सेंटर के सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल की सुविधा;
- (ix) सीसीटीवी कैमरों की उपयुक्त व्यवस्था और आवश्यकतानुसार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती;
- (x) आवश्यकतानुसार बाल देखभाल सुविधाओं और गर्भवती महिलाओं अथवा 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था;
- (xi) विद्यार्थियों के लिए शिकायत पेट्री और किसी भी शिकायत या परेशानी के समय पर समाधान के लिए उपयुक्त तंत्र;
- (xii) कोचिंग सेंटर भवन परिसर में पुरुष और महिला विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग शौचालयों का प्रावधान;
- (xiii) कोचिंग सेंटर के नामांकन के अनुपात में वाहनों की पार्किंग की सुविधा;

- (xiv) कोचिंग कक्षाओं के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में बेंच, कुर्सियां, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर सिस्टम आदि की व्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे के उपयोग की नीति; तथा
- (xv) कोई अन्य शर्तें जो बनाए गए नियमों अथवा उसके अंतर्गत जारी आदेशों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

(ख) पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, मूल्यांकन एवं शुल्क:-

- (i) पाठ्यक्रमों की सूची, विस्तृत पाठ योजना के साथ इसका पाठ्यक्रम और रचनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन के प्रावधान;
- (ii) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सांकेतिक बैचवार समय सारिणी, साथ ही प्रारंभ तिथि, समाप्ति तिथि और प्रत्येक कक्षा के बीच प्रदान किए गए उपयुक्त ब्रेक;
- (iii) कोचिंग सेंटर के संचालन का समय अधिकतम स्वीकृत समय अवधि प्रातः 6:00 बजे से सायं 9:00 बजे तक;
- (iv) बैचों की संख्या, एक साथ आयोजित किए जाने वाले बैचों की संख्या तथा किसी भी पाठ्यक्रम में किसी भी बैच में नामांकित होने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या;
- (v) पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या, चयनित विद्यार्थियों और चयन के प्रतिशत सहित विद्यार्थियों की वास्तविक सांख्यिकीय जानकारी का खुलासा करना;
- (vi) अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, दिव्यांगजन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान, यदि हो;
- (vii) किसी भी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान में वर्तमान में नामांकित विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं की अलग अवधि की व्यवस्था;
- (viii) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभव के साथ ट्यूटर नियुक्त किए जाएंगे;
- (ix) ट्यूटर-विद्यार्थी के लिए नीति तैयार करना तथा नीति के अनुसार ट्यूटर्स की संख्या बनाए रखना;
- (x) पाठ्यक्रम में नामांकन से पहले विद्यार्थियों को परीक्षा की कठिनाई, पाठ्यक्रम, तैयारी की तीव्रता के स्तर और विद्यार्थी से अपेक्षित प्रयासों के बारे में अवगत कराने की व्यवस्था;
- (xi) विद्यार्थी द्वारा की गई प्रगति को प्रदर्शित करने और विद्यार्थी की शिक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नियमित अभिभावक-ट्यूटर बैठकें;
- (xii) उन विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक या सहायता कक्षाओं की व्यवस्था करना जिन्हें अपनी पढ़ाई में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है;
- (xiii) पाठ्यक्रमों के लिए ली जाने वाली फीस एवं उनके संग्रह की विधि, लेखांकन और अंकेक्षण;

- (xiv) ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड में विद्यार्थी के मूल्यांकन के लिए तंत्र और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद उचित समय तक ऐसे मूल्यांकन का सुरक्षित भंडारण;
- (xv) प्रत्येक नामांकित विद्यार्थी की दैनिक उपस्थिति की कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्डिंग का विवरण;
- (xvi) आसान निकास नीति, शुल्क वापसी नीति, और कोचिंग सेंटरों के बीच उम्मीदवारी के स्थानांतरण के लिए नीति;
- (xvii) चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षित पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के खातों के विवरण की प्रति; तथा
- (xviii) बनाए गए नियमों या उसके अंतर्गत जारी आदेशों में कोई अन्य शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं।

(ग) अन्य सुविधाएं जैसे:-

- (i) कोचिंग सेंटर की बुनियादी ढांचा नीति के अनुसार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कोचिंग कक्षा के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में बेंच एवं डेस्क;
- (ii) बिना किसी व्याख्यान या मूल्यांकन या ट्यूटोरियल या परीक्षण के पर्याप्त साप्ताहिक अवकाश;
- (iii) ट्यूटर्स और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर गुमनाम प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए तंत्र;
- (iv) नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र परिषदों या किसी भी शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में संचालित कोचिंग सेंटरों के लिए:-

क. समय-समय पर संशोधित झारखंड नगरपालिका व्यापार लाइसेंस विनियमन, 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध व्यापार लाइसेंस का अधिकार,

ख. संचालन स्थल के लिए नगरपालिका संपत्ति कर का समय पर और पूर्ण भुगतान तथा झारखंड नगरपालिका कर भुगतान (समय, प्रक्रिया और वसूली) अधिनियम, 2017 के तहत अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन के बारे में जानकारी; तथा

- (v) बनाए गए नियमों या उसके अंतर्गत जारी आदेशों में कोई अन्य शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं।

(7) कोचिंग सेंटर के पंजीकरण या स्थापना के लिए आवेदन के साथ एक वचनबद्धता संलग्न करेगा जिसमें यह कहा जाएगा कि:-

- (क) केवल “पंजीकृत कोचिंग सेंटर” शब्द का प्रयोग करें और किसी भी साइन बोर्ड या किसी भी प्रॉस्पेक्टस या पत्राचार या किसी भी प्रकृति के संचार या किसी भी स्थान पर “मान्यता प्राप्त” या “अनुमोदित” शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे;
- (ख) संचालन स्थल के बाहर कोचिंग सेंटर का सीसीआर-आईडी और नाम, सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक सामग्री, विज्ञापन, प्रचार संबंधी वस्तुएं या कोचिंग के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली कोई अन्य वस्तु का स्पष्ट उल्लेख करना;

- (ग) अपने संस्थानों/स्कूलों के समय में उन विद्यार्थियों के लिए कोचिंग कक्षाएं संचालित न करें जो संस्थान/स्कूलों में पढ़ रहे हों;
- (घ) ट्यूटर्स की योग्यता, कोचिंग क्लास की समय सारिणी, ली जाने वाली फीस और कोचिंग सेंटर के संबंध में सामान्य जानकारी, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, अपनी वेबसाइट और / या कोचिंग सेंटर के परिसर में प्रमुख स्थानों पर नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध कराएं;
- (ङ) ऐसे ट्यूटर्स की नियुक्ति की जाएगी जिनके पास न्यूनतम स्नातक योग्यता हो तथा जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी न ठहराया गया हो तथा ऐसी किसी भी दोषसिद्धि की सूचना तत्काल समिति(यों) को दी जाएगी;
- (च) कोचिंग सेंटर में प्रवेश दिए जाने वाले विद्यार्थियों की निर्दिष्ट संख्या के संबंध में शर्त का कड़ाई से पालन करना;
- (छ) अपनी मानव संसाधन नीति का पालन करना जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य श्रम कानून/संहिता के अनुरूप है, जिसमें सेवा शर्तें, वेतन, नियुक्ति का तरीका, प्रदान किए गए सामाजिक सुरक्षा लाभ, भविष्य निधि, बीमा, ग्रेच्युटी, ट्यूटर्स और अन्य कर्मचारियों के कार्य घंटे सहित प्रावधान शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;
- (ज) कोचिंग सेंटर में नामांकित प्रत्येक 1000 विद्यार्थियों के लिए कम से कम एक प्रमाणित मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता को नियुक्त करना, जो कम से कम 200 कैलेंडर दिनों के लिए निःशुल्क परामर्श सत्र उपलब्ध कराएगा;
- (झ) विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को मासिक आधार पर विद्यार्थी के सीखने और प्रदर्शन की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रदान करना;
- (ञ) वेबसाइट पर ट्यूटर्स की योग्यता, पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या, पूरा करने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं (यदि कोई हो) और ली जा रही फीस, आसान निकासी नीति, फीस वापसी नीति, केंद्र से कोचिंग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने में सफल विद्यार्थियों की संख्या आदि के बारे में अद्यतन जानकारी होनी चाहिए;
- (ट) राज्य सरकार की सब्सिडीयुक्त या निःशुल्क योजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति देना;
- (ठ) किसी भी गतिविधि की संभावना के बारे में समिति को बताना या सूचित करना जो राज्य सरकार के हित के खिलाफ हो; तथा
- (ड) इस अधिनियम के अन्य नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।
- (8) इसके अतिरिक्त, कोचिंग सेंटर को आवेदन के साथ निम्नवत कार्य नहीं करने का एक वचनबद्धता संलग्न करेगा:-
- (क) स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त करना;

- (ख) 16 वर्ष से कम आयु के या माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (मैट्रिकुलेशन) उत्तीर्ण न करने वाले विद्यार्थियों को उनके माता-पिता/अभिभावक की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना नामांकित करना;
- (ग) कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए माता-पिता/विद्यार्थियों को रैंक या अच्छे अंक दिलाने का भ्रामक वादा या गारंटी देना;
- (घ) प्रस्तावित पाठ्यक्रम, पूरा होने की अवधि, ट्यूटर का अनुभव, शुल्क, शुल्क वापसी सहित पाठ्यक्रम निकास नीति, चयनों की संख्या, परीक्षा में रैंक या सफलता दर, चयन की गारंटी, नौकरी की सुरक्षा, नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि, परीक्षा के विभिन्न चरणों में सफलता, किसी संस्थान में प्रवेश के संबंध में झूठे दावे करना या विद्यार्थी को यह विश्वास दिलाना कि कोचिंग में नामांकन से अच्छी रैंक और उच्च अंक सुनिश्चित होंगे;
- (ङ) तात्कालिकता की झूठी भावना पैदा करना, जिसमें तात्कालिकता या कमी की भावना को गलत तरीके से बताना या दर्शाना, वस्तुओं या सेवाओं की झूठी लोकप्रियता दिखाना शामिल है, ताकि किसी विद्यार्थी को तत्काल खरीदारी करने या तत्काल कार्रवाई करने के लिए गुमराह किया जा सके;
- (च) किसी अन्य अनुचित व्यापार व्यवहार या भ्रामक विज्ञापन में संलग्न होना;
- (छ) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सब्सिडीयुक्त या निःशुल्क कोचिंग योजनाओं के माध्यम से प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग कक्षाएं बनाना या विशेष कक्षाएं बनाना;
- (ज) राज्य सरकार के हित के विरुद्ध किसी कार्रवाई या गतिविधि में कोचिंग सेंटर के किसी ट्यूटर या कर्मचारी को शामिल करना या उकसाना या बढ़ावा देना या सुविधा प्रदान करना या शामिल होने की अनुमति देना;
- (झ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित किसी भी डिजिटल मध्यस्थ या प्लेटफॉर्म पर राज्य सरकार के खिलाफ की गई किसी भी पोस्ट या सूचना को सुविधाजनक बनाना या पोस्ट करना या पुनः साझा करना या उसका अनुसरण करना;
- (ञ) कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग सेंटर या ऐसी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दावे से संबंधित किसी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित करना या प्रकाशित करवाना या प्रकाशन में भाग लेना; तथा
- (ट) अधिनियम या बनाए गए नियमों या उसके तहत जारी आदेशों द्वारा अनिवार्य कोई भी कार्रवाई या गतिविधि करना।
- (9) कोचिंग सेंटर के पंजीकरण या स्थापना के लिए आवेदन आवश्यक जानकारी, निर्धारित तरीके और प्रारूप में वचनबद्धता के बाद प्रस्तुत किया जाएगा और गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क के साथ होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में निर्धारित और अधिसूचित किया जा सकता है।
- (10) समिति आवेदन प्राप्त होने पर उसकी जांच करेगी और यदि संतोषजनक पाया जाता है तो आवेदन प्राप्त होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर व्यक्ति को आशय पत्र जारी करेगी:

बशर्ते कि, यदि समिति की राय में आवेदन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो वह उसे अस्वीकार कर सकती है और अस्वीकृति के कारण बताते हुए खेद पत्र जारी कर सकती है। व्यक्ति के पास ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध 30 (तीस) दिनों के भीतर राज्य स्तरीय प्राधिकरण के समक्ष अपील करने का विकल्प होगा।

- (11) यदि समिति 90 (नब्बे) दिनों के भीतर आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करती है, तो व्यक्ति के पास ऐसे विलंब के विरुद्ध राज्य स्तरीय प्राधिकरण में अपील करने का विकल्प होगा।
- (12) आशय पत्र में कोचिंग सेंटर द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें और उनके सफल अनुपालन की समयावधि शामिल होगी।
- (13) आशय पत्र जारी होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, व्यक्ति को कोचिंग सेंटर के संचालन के स्थान के आधार पर, आशय पत्र जारी होने की तिथि से 06 वर्ष की अवधि के लिए वैध परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी, जो निम्नानुसार होगी:-
 - (क) नगर निगम सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए 5,00,000 रुपये;
 - (ख) नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र परिषद (एनएसी) या अन्य शहरी स्थानीय निकाय सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए 1,00,000 रुपये; तथा
 - (ग) (क) और (ख) के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों के लिए 50,000 रुपये।
- (14) आशय पत्र जारी होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर, व्यक्ति को आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी:

बशर्ते कि, यदि व्यक्ति द्वारा आशय पत्र के अनुपालन की सूचना इसके जारी होने के 90 (नब्बे) दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो जारी किया गया आशय पत्र वापस ले लिया जाएगा और व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किसी भी निष्पादन बैंक गारंटी को समिति या समिति द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा भुनाया जाएगा।

- (15) यदि समिति संतुष्ट हो जाती है कि व्यक्ति ने आशय पत्र की सभी शर्तों का अनुपालन कर लिया है, तो वह कोचिंग सेंटर के पंजीकरण को मंजूरी देगी और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर परिचालन आरंभ करने के लिए पत्र जारी करेगी:

बशर्ते कि, यदि समिति व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वह अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है या समिति द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा कोचिंग सेंटर का भौतिक सत्यापन करा सकती है या अनुपालन रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है या प्राप्त आवेदन को अस्वीकार कर सकती है और जारी किया गया आशय पत्र रद्द कर सकती है। यदि प्रस्तुत किया गया हो, तो समिति निष्पादन बैंक गारंटी को भी भुना लेगी और अस्वीकृति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए व्यक्ति को खेद पत्र जारी करेगी। व्यक्ति के पास 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण के समक्ष अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का विकल्प होगा।

- (16) पंजीकरण की वैधता इसके जारी होने की तिथि से पांच वर्ष तक होगी, जब तक कि किसी कारणवश समिति या प्राधिकरण द्वारा इसे रद्द न कर दिया जाए।
- (17) सफल पंजीकरण और संचालन शुरू करने के लिए पत्र जारी होने पर सभी कोचिंग सेंटरों को "सीसीआर-आईडी" नामक एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी।
- (18) यह सीसीआर-आईडी कोचिंग सेंटर के वैध पंजीकरण तक वैध रहेगी तथा पंजीकरण रद्द होने पर निष्क्रिय हो जाएगी।
- (19) कोचिंग सेंटरों को सभी प्रकार के विज्ञापनों और हितधारकों के साथ संचार में सीसीआर-आईडी का प्रमुखता से उल्लेख करना होगा।
- (20) प्राधिकरण को इस सीसीआर-आईडी से सेवाओं, विद्यार्थियों, परामर्शदाताओं या किसी अन्य संस्था या गतिविधि को जोड़ने का अधिकार होगा।
- (21) व्यक्ति को कोचिंग सेंटर के पंजीकरण की समाप्ति की तिथि से कम से कम 06 महीने पहले वेब पोर्टल पर समिति को पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा, ऐसे तरीके और प्रारूप में, और ऐसे गैर-वापसी योग्य शुल्क के साथ जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
- (22) समिति, वेब-पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, निर्धारित गैर-वापसी योग्य शुल्क के साथ, पंजीकरण अवधि की समाप्ति से पहले पंजीकरण के नवीनीकरण पर निर्णय लेगी।
- (23) उचित मूल्यांकन के बाद समिति, संचालन पत्र की वैधता को आगामी 05 वर्षों तक की अवधि के लिए बढ़ाकर कोचिंग सेंटर के पंजीकरण का नवीकरण कर सकती है या पंजीकरण अवधि की समाप्ति से पहले, लिखित रूप में ऐसे इनकार के कारणों को दर्ज करने के बाद, व्यक्ति को इसके इनकार की सूचना दे सकती है:

बशर्ते कि, पंजीकरण के नवीकरण से इंकार करने वाला कोई आदेश, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात पारित नहीं किया जाएगा।
- (24) यदि समिति कोचिंग सेंटर के पंजीकरण को नवीनीकृत न करने का निर्णय लेती है, तो वह व्यक्ति को उसके द्वारा प्रस्तुत समापन नीति के अनुसार कोचिंग सेंटर के समापन और पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देगी।
- (25) समापन अवधि के दौरान, समिति समापन प्रक्रिया की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक पर्यवेक्षण प्राधिकरण की नियुक्ति करेगी।
- (26) यदि कोचिंग सेंटर को उसकी वैध पंजीकरण अवधि पूरी होने से पहले बंद कर दिया जाता है या उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है, तो समिति, रद्द किए गए कोचिंग सेंटर की निष्पादन बैंक गारंटी को भुना सकती है।

14. विद्यार्थियों का पंजीकरण

- (1) कोई भी विद्यार्थी जो वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थापित और पंजीकृत किसी भी कोचिंग सेंटर में कोचिंग के लिए नामांकित है या नामांकन के लिए इच्छुक है, उसे निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा:
 बशर्ते कि, 16 वर्ष से कम आयु या माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (मैट्रिकुलेशन) उत्तीर्ण नहीं करने वाले किसी भी विद्यार्थी को उसके माता-पिता / अभिभावक की स्पष्ट रूप से लिखित सहमति के बिना वेब पोर्टल पर पंजीकरण करने और किसी भी कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (2) सफल पंजीकरण कराए जाने पर, संबंधित विद्यार्थी को "सीईडी-आईडी" नामक एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी।
- (3) सीईडी-आईडी को पहचान प्रमाण (पीओआई) के रूप में "आधार" से जोड़ा जा सकता है।
- (4) सीईडी-आईडी की स्थायी वैधता होगी और यदि छात्र राज्य के किसी भी संस्थान में नामांकित है, तो संबंधित संस्थान प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सीईडी-आईडी प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।
- (5) राज्य सरकार सीईडी-आईडी का उपयोग विद्यार्थियों को विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय योजनाओं का लाभ प्रदान कर सकती है।
- (6) विद्यार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया नियमों में यथा निर्धारित तरीके से की जाएगी।

15. मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं का पंजीकरण

- (1) सभी कोचिंग सेंटर को ऐसे मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं को अपने कोचिंग सेंटर से सम्बद्ध करना अनिवार्य होगा, जो क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक या पुनर्वास मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रमाणित हों, या प्राधिकरण द्वारा समकक्ष माने गए और भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य श्रेणी के प्रमाणन से युक्त हों।
- (2) प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता को निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और सफल पंजीकरण पर उन्हें "सीएमसी-आईडी" नामक एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे आधार के साथ जोड़ा जा सकता है।
- (3) संबंधित व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित या नियोजित किए जाने वाले सभी मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता वेब-पोर्टल पर पंजीकृत हों और ऐसे मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं को आवंटित सीएमसी-आईडी को कोचिंग सेंटर के संबंधित सीसीआर-आईआईडी के साथ उचित रूप से टैग किया गया हो।
- (4) सीएमसी-आईडी की वैधता स्थायी होगी, जब तक कि मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उपयुक्त श्रेणियों के अंतर्गत केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं।
- (5) मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता के पंजीकरण की प्रक्रिया नियमों में यथा निर्धारित तरीके से की जाएगी।

16. ट्यूटर्स का पंजीकरण

- (1) किसी भी कोचिंग केंद्र में पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से वर्तमान में कार्यरत या नियोजित होने वाले, सभी शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर से कम नहीं होनी चाहिए और उन्हें निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
- (2) निर्दिष्ट वेब पोर्टल में सफल पंजीकरण पर, ट्यूटर को "सीटीआर-आईडी" नामक एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे उनके आधार के साथ जोड़ा जा सकता है।
- (3) किसी भी स्कूल, कॉलेज या उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा वर्तमान में नियोजित किसी भी ट्यूटर को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान वेब पोर्टल पर अपने वर्तमान और पिछले रोजगार के बारे में सभी विवरण प्रदान करना होगा।
- (4) सीटीआर-आईडी की वैधता तब तक स्थायी रहेगी जब तक कि प्राधिकरण के आदेश द्वारा इसे निष्क्रिय नहीं कर दिया जाता।
- (5) यदि ट्यूटर किसी कोचिंग सेंटर का अंशकालिक या पूर्णकालिक रोजगार स्वीकार करता है, तो प्रत्येक सीटीआर-आईडी को संबंधित सीसीआर-आईडी से जोड़ा जाएगा।
- (6) सम्पूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया नियमों में यथा निर्धारित तरीके से की जाएगी।

17. कोचिंग सेंटर का संचालन

- (1) सफल पंजीकरण एवं सीसीआर-आईडी की प्राप्ति की तिथि से, कोचिंग सेंटर संचालन करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा:-
 - (क) कोचिंग सेंटर के किसी भी पाठ्यक्रम में वर्तमान में नामांकित या नामांकित होने वाले सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और सीईडी-आईडी प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा, प्रत्येक विद्यार्थी को जारी की गई सीईडी-आईडी कोचिंग सेंटर की सीसीआर-आईडी से जुड़ी होगी;
 - (ख) वैध सीएमसी-आईडी वाले मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं को कोचिंग सेंटर के सीसीआर-आईडी से जोड़ा जाएगा:
 बशर्ते कि, एक एकल सीएमसी-आईडी को एक से अधिक सक्रिय सीसीआर-आईडी से नहीं जोड़ा जाएगा;
 - (ग) कोचिंग सेंटर के सभी ट्यूटर्स को निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए और ऐसे ट्यूटर्स को जारी की गई सीटीआर-आईडी को कोचिंग सेंटर की सीसीआर-आईडी से लिंक किया जाना चाहिए। इसके अलावा, व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि सीसीआर-आईडी से जुड़े ट्यूटर्स की सूची कोचिंग सेंटर की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित हो;
 - (घ) कोचिंग सेंटर में नामांकित प्रत्येक विद्यार्थी की मासिक उपस्थिति रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कोई अन्य रिपोर्ट संबंधित विद्यार्थी के साथ साझा की जाएगी और इस तरह के साझाकरण का अनुपालन वेब पोर्टल पर सीईडी-आईडी के खिलाफ प्रस्तुत किया जाना चाहिए;

- (ड) कोचिंग सेंटर के संचालन का समय प्रातः 6:00 बजे से सायं 9:00 बजे तक या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के बीच होगा;
- (च) प्रत्येक बैच में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या कोचिंग सेंटर के विवरणिका में उल्लिखित प्रत्येक बैच के लिए आवंटित/निर्धारित सीटों की संख्या से अधिक नहीं होगी;
- (छ) विद्यार्थी की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रवेश या मॉक टेस्ट आयोजित करना और कोचिंग सेंटर की क्षमता को समझने में सहायता करना ताकि कोई अति अपेक्षाएं न हों;
- (ज) प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी भी विद्यार्थी के साथ धर्म या नस्ल या जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा;
- (झ) मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की सहायता से विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में समय-समय पर कार्यशालाएं और संवेदीकरण सत्र आयोजित करना;
- (ञ) विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम की समय-सीमा और कोचिंग सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना;
- (ट) विद्यार्थी के विशेष अनुरोध पर, किसी भी सार्वजनिक परीक्षा या मूल्यांकन के परिणामों को गुमनाम करना और खराब प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए परामर्श सत्र उपलब्ध कराना;
- (ठ) किसी भी परीक्षा में अपने नामांकित विद्यार्थियों की सफलता को प्रकाशित करते समय, व्यक्ति को स्पष्ट रूप से और प्रमुखता से सीईडी-आईडी और पाठ्यक्रम नामांकन का विवरण इंगित करना होगा;
- (ड) विज्ञापन, प्रचार और प्रसार के प्रयोजनों के लिए उनके नाम, फोटो, सीईडी-आईडी, प्रशंसापत्र या वीडियो का उपयोग करने से पहले विद्यार्थी की लिखित और सूचित सहमति लेनी होगी;
- (ढ) कोचिंग सेंटर का नियमित वित्तीय अंकेक्षण करना एवं उचित वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखना;
- (ण) शुल्क भुगतान, वापसी, स्थानांतरण, प्रवेश और निकास से संबंधित नीतियां तैयार करना, जिससे विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम शुल्क के भुगतान में लचीलापन मिल सके और पाठ्यक्रम अवधि के दौरान विद्यार्थी के कोचिंग सेंटर से बाहर निकलने की स्थिति में समय पर वापसी हो सके;
- (त) सभी नीतियां कोचिंग सेंटर की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हों और प्रवेश फॉर्म, प्रॉस्पेक्टस या किसी भी प्रकार के विज्ञापन में उचित रूप से शामिल हों;
- (थ) आपातकालीन परिस्थितियों में 24x7 सहायता के लिए एक आंतरिक टोल-फ्री नंबर या हेल्पलाइन स्थापित करना;
- (द) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 03 महीने के भीतर कोचिंग सेंटर का वार्षिक वित्तीय ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्मों के माध्यम से कराना, जिनकी कोचिंग सेंटर के मामलों में कोई रुचि नहीं है;

- (ध) निर्धारित समय सीमा के भीतर वेब-पोर्टल पर अंकेक्षित विवरणों के साथ अंकेक्षित रिपोर्ट अपलोड और प्रस्तुत करना;
 - (न) कोचिंग सेंटर द्वारा की गई गतिविधियों का विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे वित्तीय वर्ष पूरा होने के तीन महीने के भीतर सार्वजनिक पहुंच के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना; तथा
 - (प) समिति या प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेशों का कार्यान्वयन करना।
- (2) छात्रावासों, पेइंग गेस्ट या किसी भी प्रकार की आवासीय सुविधा प्रदान करने वाले कोचिंग सेंटर, उपधारा (1) में उल्लिखित शर्तों के अलावा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेंगे:-
- (क) यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी और छात्राओं के लिए अलग-अलग कमरे हों तथा विद्यार्थी-छात्राओं को 24x7 सहायता प्रदान करने के लिए पुरुष और महिला वार्डन नियुक्त किए जाएं;
 - (ख) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 में उल्लिखित और समय-समय पर संशोधित शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावासों के लिए सभी प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन करना;
 - (ग) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रावासों में उचित सीसीटीवी निगरानी रखी जाए तथा सीसीटीवी फुटेज का बैकअप कम से कम 90 दिनों तक रखा जाए; तथा
 - (घ) समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश का अनुपालन करना।

18.केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन

सभी पंजीकृत कोचिंग सेंटर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का इस सीमा तक अनुपालन करेंगे, कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों, या बनाए गए नियमों, या इसके तहत जारी आदेश के साथ असंगत न हों।

19.व्याख्या

यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेश के किसी उपबंध की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

20.आदेश जारी करने की शक्ति

इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के तहत किसी प्रावधान के अनुपालनार्थ राज्य सरकार तथा प्राधिकरण को आवश्यकतानुसार समय-समय पर कोई भी आदेश जारी करने की पूर्ण शक्ति होगी, जैसा कि राज्य सरकार / प्राधिकरण उचित समझे तथा सभी कोचिंग सेंटरों के लिए इसे लागू करना अनिवार्य होगा।

21.सभी कार्यों और आदेशों का संरक्षण

प्राधिकरण या समिति या उसके किसी सदस्य या प्राधिकृत पदाधिकारी / पदाधिकारियों द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए सभी कार्य एवं पारित किए गए सभी आदेश, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अंतिम होंगे; और तदनुसार, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए

गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किए गए या पारित किए जाने या किए जाने का तात्पर्यित किसी भी कार्य के लिए ऐसे प्राधिकरण या समिति या उसके किसी सदस्य या प्राधिकृत पदाधिकारी / पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, या बनाए नहीं रखी जाएगी, या उनसे क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाएगा।

22. रिक्ति आदि के कारण कार्यों और कार्यवाहियों को अमान्य नहीं ठहराया जाएगा

(1) प्राधिकरण या समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही किसी भी समय केवल इस आधार पर अवैध नहीं मानी जाएगी कि -

(क) ऐसे किसी प्राधिकरण का कोई भी सदस्य नियुक्त अथवा मनोनीत नहीं है या किसी अन्य कारण से गठन के समय पद ग्रहण करने या उसकी किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध नहीं है या कोई एक से अधिक पद पर है या उसके गठन में कोई अन्य दोष है या उसके सदस्यों के पदों में एक या अधिक रिक्तियां हैं; तथा

(ख) किसी ऐसे प्राधिकरण, निकाय या समिति की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जो विचाराधीन मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है, और ऐसे किसी कार्य या कार्यवाही की वैधता पर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण या पदाधिकारी के समक्ष केवल ऐसे किसी आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

23. अभिलेखों का रखरखाव

(1) सभी निबंधित कोचिंग सेंटर ऐसे अभिलेख, खाते, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज संधारित रखेगा और समिति या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित होने पर प्रस्तुत करेगा।

(2) कोचिंग सेंटर रिकार्ड के लिए प्राधिकरण और समिति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

24. कोचिंग सेंटर के स्थानांतरण संबंधी बंधेज

कोई भी पंजीकृत कोचिंग सेंटर केवल पंजीकरण प्रमाणपत्र में दर्शाए गए संचालन स्थल पर ही कोचिंग प्रदान करेगा और समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना, संचालन प्रारंभ करने के पत्र में उल्लिखित अपने संचालन स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित या पुनर्स्थापित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अनुमोदन के लिए आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया नियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

25. जांच करने की शक्ति

प्राधिकरण या समिति, अथवा प्राधिकरण या समिति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी कोचिंग सेंटर की गतिविधियों, उसके संतोषजनक प्रदर्शन तथा अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के अनुपालन के संबंध में जांच करने का अधिकार रखेगा।

26. शिकायतों का निपटारा और जुर्माना लगाना

- (1) किसी भी कोचिंग सेंटर के विरुद्ध समिति के समक्ष कोई भी विद्यार्थी, अभिभावक, ट्यूटर या कोचिंग सेंटर के किसी भी कर्मचारी या आम जनता के किसी भी सदस्य द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- (2) यदि समिति शिकायत में उपलब्ध कराए गए भौतिक और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट है कि कोचिंग सेंटर अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है या उनके अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो वह संबंधित कोचिंग सेंटर और व्यक्ति को ऐसी शिकायत की एक प्रति के साथ कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है, तथा उन्हें कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है:
 बशर्ते कि, यदि समिति की राय है कि शिकायतकर्ता द्वारा सामग्री और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, तो वह शिकायत के विरुद्ध प्रारंभिक जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन कर सकती है, जो निर्धारित समयावधि के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी या ऐसी बर्खास्तगी के आधारों को स्पष्ट रूप से बताते हुए शिकायत को खारिज कर सकती है।
- (3) इस धारा की उपधारा (2) के अधीन गठित जांच समिति को अपनी जांच के दौरान निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी:-
 - (क) किसी भी उचित समय पर ऐसे किसी परिसर में प्रवेश करना तथा किसी दस्तावेज, अभिलेख, वस्तु या किसी अन्य प्रकार के साक्ष्य की तलाशी लेना तथा ऐसे दस्तावेज, अभिलेख, वस्तु या ऐसे साक्ष्य को जब्त करना;
 - (ख) ऐसे अभिलेख या लेख का नोट या सूची बनाना; तथा
 - (ग) किसी भी व्यक्ति से किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज अथवा वस्तु को प्रस्तुत करने की मांग करना।
- (4) तलाशी और जब्ती से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस धारा की उपधारा (3) के तहत की गई तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे।
- (5) उपधारा (3)(क) के अधीन अभिगृहीत या उपधारा (3)(ग) के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज, अभिलेख या वस्तु उस व्यक्ति को, जिससे वह अभिगृहीत की गई थी या जिसने उसे प्रस्तुत किया था, ऐसी अभिग्रहण या प्रस्तुति की तिथि से 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, उसकी प्रतियां या उससे प्राप्त उद्धरण उस व्यक्ति द्वारा प्रमाणित कर लिए जाने के पश्चात्, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, वापस कर दिए जाएंगे।
- (6) जांच समिति द्वारा प्रस्तुत ऐसी जांच रिपोर्ट के आधार पर, यदि समिति संतुष्ट है कि कोचिंग सेंटर अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है या उनके अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो वह संबंधित कोचिंग सेंटर और व्यक्ति को ऐसी शिकायत की एक प्रति के साथ कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है, जिसमें उन्हें कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा:

बशर्ते कि, यदि जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर समिति संतुष्ट हो कि कोचिंग सेंटर अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहा है, तो वह शिकायत को खारिज कर सकती है।

- (7) यदि समिति संबंधित कोचिंग सेंटर और व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंड लगा सकती है। समिति, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसी सभी शिकायतों के लिए उचित आदेश पारित करके शिकायतों की प्राप्ति के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर उनका निपटारा करेगी:

बशर्ते कि, अत्यावश्यक परिस्थितियों में समिति के अध्यक्ष को समिति की ओर से किसी शिकायत के तत्काल और शीघ्र निपटान के लिए निर्देश या आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

- (8) कोचिंग सेंटर या शिकायतकर्ता समिति द्वारा उपधारा (7) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध प्राधिकरण को ऐसे आदेश पारित होने के 30 (तीस) दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है।
- (9) समिति को इस अधिनियम या बनाए गए नियमों या उसके तहत जारी आदेश के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में कोचिंग सेंटर पर जुर्माना लगाने की शक्ति होगी।
- (10) इस अधिनियम के तहत कोचिंग सेंटर द्वारा उल्लंघन के लिए दंड लगाने की श्रेणीबद्ध प्रणाली निम्नानुसार होगी:-

- (क) पहली बार अपराध करने पर 5,00,000 रुपये तक का जुर्माना;
- (ख) दूसरे अपराध के लिए 10,00,000 रुपये तक का जुर्माना; और
- (ग) किसी भी बाद के उल्लंघन के लिए पंजीकरण रद्द करना तथा 60 दिनों की अवधि के भीतर उपयुक्त अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना।

- (11) उपधारा (10)(क) एवं (10)(ख) के अधीन जारी किए गए दंड, बिना किसी पूर्वाग्रह के, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निर्दिष्ट दंड के अतिरिक्त लगाए जा सकेंगे:

बशर्ते कि, कोचिंग सेंटर को सुनवाई का अवसर दिए बिना उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

- (12) इस प्रकार लगाया गया जुर्माना नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वसूल किया जाएगा।
- (13) यदि कोचिंग सेंटर समिति द्वारा उप-धारा (10)(ग) के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार आवश्यक सुधार करने में विफल रहता है, तो समिति संबंधित व्यक्ति को काली सूची में डालने (ब्लैकलिस्ट करने) की अनुशंसा प्राधिकरण से कर सकती है।
- (14) यदि कोचिंग सेंटर या संबद्ध व्यक्ति पंजीकरण रद्द करने या काली सूची में डालने के बाद भी संचालन जारी रखता है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के लागू प्रावधानों के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- (15) यदि इस अधिनियम के अधीन उल्लंघन करने वाला कोचिंग सेंटर कोई सोसायटी या ट्रस्ट या सीमित दायित्व भागीदारी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे उल्लंघन के समय सोसायटी या ट्रस्ट

या सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यों के संचालन के लिए प्रभारी था और उसके प्रति उत्तरदायी था, उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उसे दंडित किया जा सकेगा:

बशर्ते कि, इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी तत्परता बरती थी।

- (16) यदि कोचिंग सेंटर का संचालन किसी व्यक्ति द्वारा फ्रेंचाइजी अनुबंध के माध्यम से किया जा रहा है और उसने इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों या राज्य सरकार या प्राधिकरण या समिति द्वारा जारी आदेशों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, तो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी को भी समान रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा और उन्हें इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा और इस अधिनियम के तहत दंड के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।
- (17) यदि कोचिंग सेंटर समिति द्वारा लगाए गए जुर्माने से असंतुष्ट है, तो वह ऐसे जुर्माने के लगाए जाने के 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपील कर सकता है, और प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

27. कोचिंग सेंटर का समापन

- (1) यदि व्यक्ति उसके समापन नीति के अनुरूप किसी भी कारण से, पंजीकरण की वैध अवधि के भीतर कोचिंग सेंटर को बंद करने का प्रस्ताव करता है, तो उसे पंजीकरण की समाप्ति की अवधि से अथवा अंतिम बैच के पूरा होने से 90 (नब्बे) दिन पहले, जो भी पहले हो, समिति को लिखित सूचना देनी होगी।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, समिति एक पर्यवेक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि जिस व्यक्ति के अधीन कोचिंग सेंटर पंजीकृत किया गया है, उसने कोचिंग सेंटर में नामांकित विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर दी है और कोचिंग सेंटर की शुल्क वापसी नीति के अनुसार शुल्क वापस कर दिया गया है।
- (3) समिति कोचिंग सेंटर की स्थापित नीति के अनुसार समापन प्रक्रिया के लिए पर्यवेक्षण प्राधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी के पद से अन्यून पदाधिकारी को नामित करेगी।

28. नियम बनाने की शक्ति

- (1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम का प्रभाव ऐसा होगा मानो वह इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो।

29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे एवं वह इस अधिनियम से असंगत न हो।

30. संस्थानों के लिए छूट

अपने परिसर में उपचारात्मक कक्षाएं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली किसी भी संस्था को इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी जाएगी:

बशर्ते कि, राज्य सरकार या भारत सरकार की किसी योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए, इस अधिनियम की धारा 13, 14, 15 और 16 के लागू प्रावधानों के तहत विशिष्ट पंजीकरण आईडी बनाने के प्रावधान लागू हो सकते हैं।

31. आधिकारिक पाठ की भाषा

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि अधिनियम के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई असंगति या विसंगति है, तो अधिनियम का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

32. अन्य कानूनों पर अधिनियम की प्रधानता

इस अधिनियम के प्रावधानों को, वर्तमान में प्रचलित किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत प्रावधान के बावजूद, प्रधानता प्राप्त होगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 22 जनवरी, 2026

संख्या- एल0जी0-05/2025-02/लेज० झारखंड विधान सभा द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-20/01/2026 को अनुमत झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2025 निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

JHARKHAND COACHING CENTRE (CONTROL AND REGULATION) ACT, 2025

(Jharkhand Act- 01, 2026)

Contents

Preamble

1. Short Title, Extent and Commencement
2. Definitions
3. Jharkhand State Coaching Centre Regulatory Authority
4. Selection and Appointment of Chairperson and Members of the Authority
5. Term of Office and Conditions of Service of Chairperson and Members of the Authority
6. Resignation and Removal of Chairperson and Members of the Authority
7. Powers and functions of the Authority
8. Procedure of the Authority
9. District Coaching Centre Regulatory Committee
10. Powers and duties of the District Coaching Centre Regulatory Committee
11. Procedure of the Committee
12. Funds, Finance, and Audit of the Authority and Committee

13. Registration and Establishment of Coaching Centre
14. Registration of Students
15. Registration of Mental Health Counsellors
16. Registration of Tutors
17. Operations of the Coaching Centre
18. Compliance to the Guidelines issued by Central Consumer Protection Authority
19. Interpretation
20. Power to Issue Order
21. Protection of all Acts and Orders
22. Acts and Proceedings not to be Invalidated by Vacancy, etc.
23. Maintenance of Records
24. Restriction on shifting of Coaching Centre
25. Power to Conduct Inquiries
26. Disposal of complaints and Imposition of Penalties
27. Winding up of Coaching Centre
28. Power to make rules
29. Power to remove difficulties
30. Exemption for Institutions
31. Language of Authoritative Text
32. Act to override other laws

JHARKHAND COACHING CENTRE (CONTROL AND REGULATION) ACT, 2025**(Jharkhand Act- 01, 2026)****Preamble**

An Act to provide for the registration, control, regulation and determination of minimum standards for Coaching Centres, to take care of interests of students, provide them career guidance and psychological counseling for mental well-being, to take appropriate measures to provide security and reduce stress among students enrolled in the Coaching Centres, and to provide better academic support and holistic development of students in preparation of different competitive examinations and admission into specialized institutions etc. and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Jharkhand State Legislature in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India, as follows:

1. Short Title, Extent and Commencement

- (1) This Act shall be called the Jharkhand Coaching Centre (Control and Regulation) Act, 2025.
- (2) It shall extend to whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the *Official Gazette*.

2. Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires, -

- (a) “*Authority*” means Jharkhand State Coaching Centre Regulatory Authority to be notified by the State Government under section 3 of this Act;
- (b) “*Board*” means an education Board approved and authorised by the State Government or Government of India to conduct and issue certifications for secondary or higher secondary level examinations;
- (c) “*Coaching*” means tuition, instructions or guidance in any branch of learning imparted to more than 50 students in physical or online or hybrid mode but does not include counselling, sports, dance, theatre and other creative activities;
- (d) “*Coaching Centre*” means a Centre, established, run, or administered by any person to provide Coaching for any study program or competitive examinations or academic support at school, college, and university level, to more than 50 students;
- (e) “*Committee*” means the District Level Coaching Centre Regulatory Committee constituted under Section 9 of this Act;
- (f) “*Constituent College*” means a college established, maintained and administered by the State University;
- (g) “*Department of Higher and Technical Education*” means the Department of

Higher and Technical Education, Government of Jharkhand or by whatsoever name it may be called;

- (h) "*Franchise Agreement*" means a legally binding contract between two persons signed for the purpose of lending the legal name of one person to another person for the purpose of conducting Coaching in the State of Jharkhand and mentioning details including but not limited to franchisee fees or royalties, term, split of expenses and revenue, grounds for termination and liability;
- (i) "*Institution*" means a School, College or University or any other educational institution recognized, or affiliated to a Board, or controlled or recognized by State Government or Government of India; or established by an Act of the State Government or Government of India;
- (j) "*Inquiry Committee*" means the Committee constituted under Section 13 or Section 26 of this Act;
- (k) "*Person*" means an individual and includes a group of individuals or a body corporate, or a trust registered under the Indian Trusts Act 1882 or Society registered under Society Registration Act 1860 or a Limited Liability Partnership established under Limited Liability Partnership Act, 2008 or a Company registered under Company Act, 2013;
- (l) "*Prescribed*" means as may be prescribed by the Rules made under this Act;
- (m) "*Program Management Cell*" means a dedicated Cell established at the District level by the District Level Coaching Centre Regulatory Committee under Section 9 of this Act;
- (n) "*Rehabilitation Council of India*" means the statutory Council established under the Rehabilitation Council of India Act, 1992 for regulating the training of rehabilitation professionals and the maintenance of a Central Rehabilitation Register;
- (o) "*State Government*" means the State Government of Jharkhand;
- (p) "*State University*" means a University established, managed and maintained by the State Government;
- (q) "*Tutor*" means who guides or trains or provides Coaching to students in any Coaching Centre either on full time employment basis or on part-time engagement basis;
- (r) "*University*" means a University established or incorporated by or under an Act of Parliament, or a State Act, is recognized by the UGC in accordance with the regulations made in this behalf under University Grants Commission Act, 1956; and
- (s) "*Web Portal*" means an online portal developed and maintained by the Department of Higher and Technical Education for registration of students,

teachers, mental health counsellors and Coaching Centres; end-to-end management of applications; and other operationalization of other provisions under this Act or Rules made or Orders issued thereunder.

3. Jharkhand State Coaching Centre Regulatory Authority

- (1) With effect from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute in this regard a State Level Authority to be called the Jharkhand State Coaching Centre Regulatory Authority, for the purposes of this Act.
- (2) The Authority shall be a body incorporated by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall by the said name sue and be sued.
- (3) The Authority shall consist of the following members, namely: -
 - (a) Retired Judicial Officer not below the rank of Principal District Judge - Chairperson;
 - (b) Retired Officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government having prior experience in handling administrative matters—Vice Chairperson-cum-Member; and
 - (c) Retired Officer not below the rank of Joint Secretary to the State Government having prior experience in Consumer Affairs and Grievance Redressal – Member.
- (4) There shall be a Secretary to the Authority who shall be an Officer not below the rank of Under Secretary to the State Government, appointed by the State Government.
- (5) The quorum for the meetings of the Authority shall be set at 02 (two) members with mandatory presence of the Chairperson:

Provided that, in absence of the Chairperson, Vice Chairperson shall preside over the meeting and shall perform all the duties with the powers as vested upon the Chairperson.
- (6) The Authority shall ordinarily convene a minimum of 01 (one) meeting every month or as decided by the Chairperson. The Chairperson may invite other subject matter experts as special invitees to the meetings of the Authority.
- (7) The Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand shall provide secretarial support to the Authority.

4. Selection and Appointment of Chairperson and Members of the Authority

- (1) All the members of the Authority including the Chairperson shall be appointed by the Department of Higher and Technical Education by a notification in the Official Gazette in the manner as may be prescribed.
- (2) The process for appointment of all the Members of the Authority including the Chairperson, shall invariably begin at least six months before the probable date

of occurrence of the vacancy of the post and the process of appointment shall be completed invariably at least one month before the probable date of occurrence of the vacancy of the post:

Provided that the 1st Chairperson and Members of the Authority shall be appointed within 06 months of the enactment of this Act.

- (3) It shall be the responsibility of the Secretary of the Authority to ensure that the post of Chairperson or any member is not left vacant.

5. Term of Office and Conditions of Service of Chairperson and Members of the Authority

- (1) The Chairperson and Members of the Authority shall hold the office for a term of five years from the date of appointment or till they attain the age of Seventy years, whichever is earlier.
- (2) No individual shall be appointed to the post of Chairperson or Member for more than one term in the same post.
- (3) The pay, allowances, and any other service conditions of the Chairperson and Members shall be as prescribed by the Rules.

6. Resignation and Removal of Chairperson and Members of the Authority

- (1) The Chairperson or Members of the Authority may, by a request letter in writing and addressed to the Department of Higher and Technical Education, in the manner as may be prescribed by the Rules, resign from the office, which shall come in force on being accepted by the Department of Higher and Technical Education:

Provided that, if the acceptance or rejection of resignation is not communicated within fifteen days from the date of its receipt by the Department of Higher and Technical Education, the resignation shall be deemed to have been accepted.

- (2) The Department of Higher and Technical Education may, by order, remove from Office, the Chairperson or any Member, if he: -
- (a) has been adjudged as an insolvent by a Court of Law; or
 - (b) engages in any paid employment during his or her term of office; or
 - (c) in the opinion of the Department of Higher and Technical Education, is unfit to continue to the office due to mental or physical incapacity, or indulging in any act of omission or commission detrimental to the interest of the State Government; or
 - (d) in the opinion of the Department of Higher and Technical Education, is not functioning in the best interest of State Government or not performing the duties as assigned under the provisions of the Act or the Rules made thereunder; or

(e) is unable to perform administrative duties to the satisfaction of the Department of Higher and Technical Education; or

- (3) Further, the Chairperson and Members of the Authority are liable for removal on ground of misconduct or violation of the provisions of the Act or Rules made thereunder.
- (4) The Chairperson and Members of the Authority shall be removed from Office, as per the provisions mentioned in sub-section (2) only after an enquiry is made and opportunity has been given to make representation, by the procedure as may be prescribed in Rules.

7. Powers and functions of the Authority

- (1) The Authority shall entertain an appeal referred to it, under relevant and applicable sections of this Act, against the order of the Committee within 30 (Thirty) days of issuance of any such order.
- (2) The Authority may entertain an appeal after the expiry of the said period of 30 (Thirty) days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.
- (3) The Authority shall dispose-off the appeal within 120 (One Hundred and Twenty) days of its receipt after providing the appellant with an opportunity of being heard.
- (4) In case the appeal is not disposed-off by the Authority within 120 (One Hundred and Twenty) days, then the original order passed by the Committee shall stand valid.
- (5) The Authority shall oversee the development of an Online Web-Portal meant for complete monitoring of the Coaching Centres and other allied activities such as registration of students, Coaching Centres and its staffs, grievance redressal system, disclosure of information by the Coaching Centres, etc.
- (6) The Authority shall monitor the performance of Committee(s) as it may deem necessary and give directions to the Committee(s) concerned for ensuring compliance of provisions of this Act or Rules made, or Orders issued thereunder.
- (7) The Authority shall ensure that the grievances of Parents, Students and tutors of the Coaching Centres are redressed in a time-bound manner by the Committee.
- (8) The Authority upon receipt of any complaint, cause an enquiry and call any records of a Coaching Centre. The owner or person-in-charge of the Coaching Centre shall produce before the Authority such records as required by the Authority or a Competent Officer appointed by the Authority during the enquiry.
- (9) The Authority shall have the power to call for any information from the Committee for specific purposes and objectives as may be prescribed.
- (10) The Authority shall have the power to conduct the audit of the accounts of the Coaching Centre receiving grants or aid from the State Government, at regular

intervals by the auditors appointed by the State Government.

- (11) The Authority shall have the power to blacklist the person on recommendation of the Committee in the manner as prescribed by the Rules.
- (12) The Authority shall have all such powers and perform such other functions as may be prescribed by the Rules.

8. Procedure of the Authority

- (1) The Authority, for the purposes of hearing and disposal of appeals, shall exercise the powers of an Appellate Court as provided under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), and shall be competent to—
 - (a) stay the operation of any order against which an appeal has been referred, on such conditions as it may deem fit; and
 - (b) exercise such other powers as may be conferred upon it under this Act or the Rules made thereunder.
- (2) Every appeal preferred before the Authority shall be accompanied by a non-refundable fee, as may be prescribed by the Rules.
- (3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or any agreement or contract to the contrary, the decision of the Authority on an appeal preferred and disposed of by it under this Act shall be final and binding on all parties concerned.
- (4) Where any Coaching Centre, without any reasonable cause, fails to comply with any direction or order issued by the Authority within the period specified therein, such Coaching Centre shall be deemed to be in violation of the provisions of this Act and shall be liable to penalties as provided under Section 26 of this Act.

9. District Coaching Centre Regulatory Committee

- (1) With effect from such date as may be notified by the State Government in the *Official Gazette*, there shall be constituted in every District of the State, a Committee to be known as the District Coaching Centre Regulatory Committee, for the purposes of this Act.
- (2) The Committee shall consist of the following members, namely: -
 - (a) Deputy Commissioner – Chairperson;
 - (b) Senior Superintendent of Police or Superintendent of Police – Member;
 - (c) Principal of any Constituent College in the District nominated by the Vice Chancellor of the concerned State University for a period of three years – Member;
 - (d) District Employment Officer – Member; and
 - (e) District Education Officer – Member Secretary.
- (3) The nominated member of the Committee may be removed, if he does any act,

not in conformity with the provisions of the Act or Rules made thereunder, as may be determined by the Chairperson:

Provided that, no nominated member shall be removed from the Committee without giving him an opportunity of being heard.

- (4) The Chairperson, if required, may invite other Officers or District Level functionaries as special invitees to the meetings of Committee.
- (5) The Committee shall constitute a Program Management Cell, headed by a Program Manager and experts in Law or Finance or Information Technology, etc., and it shall assist the Committee in initial screening of the applications and provide its recommendations on their acceptance or rejection to the Committee.
- (6) The composition, eligibility criteria, mode of engagement or selection, conditions of service and pay and allowance of the members of Program Management Cell shall be as prescribed by the Rules.
- (7) The Committee shall hold meetings regularly, as required, by the Chairperson.
- (8) The quorum for meeting of the Committee shall be set at one-half of total members with the mandatory presence of the Chairperson and the Member Secretary.

10. Powers and duties of the District Coaching Centre Regulatory Committee

- (1) The Committee shall have the following powers and duties, namely: -
 - (a) ensure all Coaching Centres registered under its jurisdiction, comply with provisions of this Act and Rules made thereunder;
 - (b) grant or reject the application for registration or establishment of Coaching Centre of any person within the District;
 - (c) seek information or report or verification from, issue directions, or authorize District level officers or functionaries, on any matter relating to operationalization of the provisions of the Act or Rules made or Order issued thereunder;
 - (d) mandate the installation of helpline and constitution of Grievance Redressal Cell at district or block level for effective resolution of Grievances of person, tutors, students and parents;
 - (e) maintain records, in physical and digital form, for all the registered Coaching Centres within the District and any grievances or violations committed by them under this Act;
 - (f) impose penalties on the Coaching Centre and liquidate Performance Bank Guarantee submitted by the person in case of violations under the provisions of this Act or Rules made or Orders issued thereunder;
 - (g) establish the Program Management Cell and oversee its operations in a timely manner by procurement of technological, infrastructural and manpower facilities or resources, as may be required;
 - (h) control the malpractices related by Coaching Centres, including, but not limited to, bogus advertising, false claims, lucrative offers, sure

selection etc.;

- (i) inquire into and dispose of complaints made by the students or parents or the Coaching Centre by issuance of suitable directions, in conformity with the provisions of this Act;
- (j) ensure that regular police patrolling is carried out in the areas with hostels or any other form of accommodation hosting students;
- (k) maintain a separate Bank Account in any Schedule Commercial Bank permitted by the State Government to hold funds, for the amount received from registration fees, penalty fees or any other source (except Grants from the State Government) as permitted by the State Government under this Act or Rules made thereunder, or by orders issued in this regard; and perform such other duties as may be prescribed by the Rules.

- (2) The Committee shall have such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Rules.

11. Procedure of the Committee

- (1) The Committee shall, for the purposes of any inquiry or proceedings under this Act, have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect to the following matters:-
 - (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him / her on oath;
 - (b) requiring the discovery and production of any document or other material object producible as evidence;
 - (c) receiving evidence on affidavits;
 - (d) requisitioning of public records;
 - (e) issuing commission for the examination of witnesses;
 - (f) reviewing its decisions, directions and orders; and
 - (g) any other matters as may be prescribed.
- (2) The Committee as deems fit, may pass such interim order in any proceeding, hearing or matter, as may be appropriate.
- (3) The Committee may authorize any individual, as it deems fit, to represent the interest of students in the proceedings before it.
- (4) All disputes under this Act shall be decided expeditiously by following the principles of natural justice.

12. Funds, Finance, and Audit of the Authority and Committee

- (1) The State Government may provide grants to the Authority and Committee during each financial year, as it considers necessary for operations of the Authority and the Committee.
- (2) The Authority and the Committee shall have separate Personal Deposit (PD) Account in the Government Treasury to hold grants from the State Government,

under this Act.

- (3) Further, there shall be dedicated Bank Account of the Authority and the Committee respectively, in any Scheduled Commercial Bank permitted by the State Government to hold funds in which all its income from application fees, fines, and funds received from any other sources that the State Government may approve from time to time shall be credited.
- (4) The expenditure of the Authority and the Committee shall be incurred from the PD Account and Bank Account maintained by them respectively, in accordance with the rules or procedure laid down by the State Government from time to time.
- (5) Any Officer of the Authority or the Committee who incurs an expenditure in violation of the rules or procedure provided in sub-section (4) or orders of the State Government in this regard, shall be held personally liable for such violation.
- (6) The Authority and the Committee shall prepare, in such form and at such time, each year as may be prescribed, a budget in respect of the ensuing financial year, showing the estimated receipts and expenditure and forward to the State Government for necessary approval.
- (7) The Chairperson of the Authority and the Committee shall be the Controlling Officer with regards to himself and all other officers of the Authority and the Committee, respectively, and shall exercise all such financial powers as are ordinarily vested in the Head of Department in addition to the Chairperson of the Authority or the Committee.
- (8) The Secretary of the Authority and Member Secretary of the Committee shall be the drawing and disbursing officer and exercise all such powers as may be vested in the Head of Office in addition to the powers delegated by the Authority or the Committee.
- (9) The Authority and the Committee shall maintain proper records of accounts which shall be duly audited internally by Comptroller and Auditor General (CAG) empanelled Chartered Accountant Firm, in the manner as may be prescribed by the State Government and shall submit such accounts before the State Government.
- (10) The Authority and the Committee as soon as possible after closing of its annual accounts, prepare a statement of accounts in such form and forward it to the Accountant General by such date as the State Government may notify for audit under Section 14 of the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service Act), 1971.
- (11) The State Government shall provide for the conduct of the test audit or full audit of accounts of the Authority and the Committee(s) at regular intervals by an auditor appointed by the Principal Accountant General (Audit), Jharkhand or

auditors appointed by the Audit Directorate, Finance Department of Jharkhand as may be prescribed by the Rules.

- (12) The annual accounts of the Authority and the Committee together with the audit report thereon shall be forwarded to the State Government.
- (13) It shall be the responsibility of the Authority to annually present a report on the work done by the Authority and the Committee, to the State Government within 31st August of every year.

13. Registration and Establishment of Coaching Centre

- (1) Any person operating a Coaching Centre in the State of Jharkhand, prior to the commencement of this Act, shall apply for registration through Web Portal within 06 (six) months from the enactment of this Act or such extended time as may be provided by the State Government, in such form and manner as may be prescribed by the Rules:

Provided that, in case any person operating a Coaching Centre does not apply within the said period or time as mentioned above, it shall be declared to be in violation of this Act and penalized as per provisions of this Act or Rules made, or Orders issued thereunder.

- (2) All such applications submitted to the Committee as mentioned in sub-section (1) shall be decided on by the Committee within a period of 90 (Ninety) days from its submission:

Provided that, in case the application is rejected and stands rejected after appeal to the Authority, then the Coaching Centre shall wind-off within 6 (six) months of rejection of its appeal by the Authority, and no new admission/enrollment shall be allowed for such Coaching Centres.

- (3) Any person who desires to impart Coaching or establish or operate a Coaching Centre shall apply for registration to the respective Committee through the Web Portal with a non-refundable application fee as determined by the Authority.
- (4) In case a person operating the Coaching Centre has multiple campuses or branches within or outside the District, each of such campuses or branches shall be treated as separate Coaching Centre and it shall be necessary to submit a separate application for registration of each branch or campus in their respective District.
- (5) In case a person is operating or applying to operate a Coaching Centre through a franchise agreement, the application for registration must be made by the franchisor on behalf of the franchisee and it shall be the joint responsibility of the franchisor and franchisee to ensure complete and absolute compliance with the provisions of this Act, Rules made, or Orders issued thereunder.
- (6) Each application for establishment or Registration of a Coaching Centre shall contain information about the following aspects, namely: -

(a) Infrastructure: -

- (i) the place of operation of the Coaching Centre with geotagged coordinates;
- (ii) complete and encumbrance free ownership or leasehold of the basic structure applying to be the place of operation for the Coaching Centre;
Occupancy Certificate issued by the appropriate authority indicating the utilization of the place of operation for commercial purposes only, if applicable;
- (iii) allocation of minimum one square meter built-up area of the classroom for each student enrolled in the Coaching Centre for batches to be conducted concurrently, and shall have or has sufficient supporting infrastructure in proportion to the number of students enrolled;
- (iv) adherence of the place of operation to the applicable provisions of National Building Code, 2016 for educational institutions; Jharkhand Building Bylaws, 2016; and Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 or other standards and obtain or has obtained a Fire and Building Safety Certificate from the appropriate statutory or regulatory authority;
- (v) first aid kit and medical assistance, doctors for emergency services and display or has displayed details of all emergency services and women helpline at all prominent places in the place of operation;
- (vi) fully electrified, well ventilated, place of operation with sufficient lighting arrangements in each classroom;
- (vii) facility of safe and potable drinking water for all students and staffs of the Coaching Centre;
- (viii) suitable fitment of CCTV cameras and deployment of security personnel, as required;
- (ix) arrangements for Child Care facilities and facilities required for pregnant women or women with children below the age of 5 years, as required;
- (x) complaint box for the students and appropriate mechanism for timely resolution of any complaints or grievances;
- (xi) provision of separate toilets for male and female students within the Coaching Centre building premises;
- (xii) facility for parking of vehicles in proportionate to the enrolment of the Coaching Centre;
- (xiii) Infrastructure Utilisation Policy for deployment of adequate number of benches, chairs, smart boards, projector systems etc. to be utilised for conduction of Coaching Classes; and
- (xiv) any other conditionalities that may be prescribed by the Rules

made, or Orders issued thereunder.

(b) Course, Curriculum, Assessment and Fees: -

- (i) list of the courses, its curriculum along with detailed lesson plan and provisions for formative or summative assessment;
- (ii) indicative batch wise timetable for each course along with start date, end date and suitable breaks provided between each class;
- (iii) time of operation of the Coaching Centre within the maximum allowed time duration of 06:00 AM to 09:00 PM;
- (iv) the number of batches, batches to be held concurrently and maximum number of students to be enrolled in any batch, in any course;
- (v) disclose actual statistical information of students including total number of registered students, selected students and percentage of selection;
- (vi) special provisions made voluntarily to encourage greater representation of students from Schedule Tribes, Schedule Castes, Divyangjan, Economically Weaker Section;
- (vii) arrangements for separate duration of classes for students currently enrolled in any School or Educational Institution;
- (viii) tutors to be engaged for each course with their minimum educational qualifications and experience;
- (ix) prepare policy for tutor-student ratio and maintain the number of tutors as per the policy;
- (x) mechanism to apprise students about the difficulty of exams, syllabus, level of intensity of preparation and efforts required from the student before enrolling into the curriculum;
- (xi) regular parent-teacher meetings to showcase the progress made by the student and discuss any issues that may be affecting the education of the student;
- (xii) arrangements of remedial or support classes for students who require additional support in their academics;
- (xiii) the fees to be charged for the courses and their mode of collection, accounting and auditing;
- (xiv) mechanism for assessment of student in Online, Offline, or Hybrid mode and the safe storage of such assessments up to reasonable time after the completion of the course;
- (xv) details of computerized recording of daily attendance of every enrolled student;
- (xvi) easy exit policy, fee refund policy, and policy for transfer of candidature between Coaching Centres, if applicable;
- (xvii) copy of the statement of accounts for the last three (03) financial years audited by a Chartered Accountant; and

- (xviii) Any other conditionalities may be prescribed by the Rules made, or Orders issued thereunder.
- (c) Other facilities, such as: -
- (i) sufficient number of benches and desks for conduction of Coaching class proportionate to the number of students enrolled, as per the infrastructure policy of the Coaching Centre;
 - (ii) sufficient weekly off-time without any lectures or assessments or tutorials or tests;
 - (iii) mechanism for providing anonymous feedback for tutors and on the facilities available to the students;
 - (iv) for Coaching Centres operating in Municipal Corporation, Municipality, Notified Area Councils, or any Urban Local Body Areas: -
 - a. possession of a Valid Trade License issued by the Competent Authority under the Jharkhand Municipal Trade License Regulation, 2017 as amended from time to time,
 - b. information about timely and complete payment of municipal property tax for the place of operation and adherence to the provisions mandated under Jharkhand Municipal Tax Payment (Time, Process and Recovery) Act, 2017; and
 - (v) Any other conditionalities may be prescribed by the Rules made, or Orders issued thereunder.
- (7) The application for registration or establishment of a Coaching Centre shall be accompanied by an undertaking stating that, it shall: -
- (a) use only the word “*registered Coaching Centre*” and shall not use the words “*recognized*” or “*approved*” on any sign board or any prospectus or correspondence or communication of whatever nature or at any place;
 - (b) clearly mention the CCR-ID and name of the Coaching Centre outside the place of operation, all academic and non-academic materials, advertisements, publicity related items or any other item utilised for the purpose of Coaching;
 - (c) not conduct Coaching classes for those students who are also studying in institutions / schools during their institutions/ schools' hours;
 - (d) provide the necessary information regarding the qualification of the tutors, timetable of the Coaching class, the fee charged and general information, as specified, regarding the Coaching Centre on their website and / or notice board at prominent places in the premises of the Coaching Centre;
 - (e) Employ tutors having the minimum qualifications of Graduation, and

who has not been convicted for any offence by a Court of Law and that any such conviction shall be immediately intimated to the Committee(s);

- (f) strictly abide by the condition regarding the specified number of students to be admitted in the Coaching Centre;
 - (g) abide by its human resource policy which inconsistent with the Labour Law(s)/Code(s) mandated by the Central Government and State Government consisting of the provisions including but not limited to Service Conditions, pay, mode of engagement, social security benefits provided, provident fund, insurance, gratuity, working hours of the tutors and other employees;
 - (h) engage at least one (1) certified mental health counsellors for every 1000 students enrolled in the Coaching Centre with free counselling sessions available for at least 200 calendar days;
 - (i) provide a detailed progress report of the student's learning and performance on a monthly basis to the students and their parents;
 - (j) have a website with updated numbers. and details of the qualification of tutors, courses/curriculum, duration of completion, hostel facilities (if any), and the fees being charged, easy exit policy, fee refund policy, number of students undertaken Coaching from the Centre and number of students finally succeeded in getting admission in Higher Education Institutions etc.;
 - (k) allow admission of students under subsidized or free schemes of the State Government;
 - (l) disclose or inform the Committee about the possibility of any activity which may be against the interest of the State Government; and
 - (m) abide by the other terms and conditions of this Act.
- (8) Further, the Coaching Centre shall also submit an Undertaking, with the application to not: -
- (a) engage tutors having qualifications less than graduation;
 - (b) enroll students below 16 years of age or not having passed secondary school examination (matriculation) without the explicit written informed consent of his/her parents or guardian;
 - (c) make misleading promises or guarantee of rank or good marks to parents/students for enrolling them in the Coaching Centre;
 - (d) makes false claims regarding course(s) offered, duration of completion, credential of faculty, fee, course exit policy including fee-refund, regarding number of selections, rank in exam or success rate, guaranteed selection, job security, job promotions, salary increase, success at different stages of an examination, admission to any institution or lead the student to believe that enrolment in Coaching will ensure a good rank and high marks;

-
- (e) create a false sense of urgency including falsely stating or implying the sense of urgency or scarcity showing false popularity of goods or services so as to mislead a student into making an immediate purchase or require taking immediate action;
 - (f) engage in any other unfair trade practice or misleading advertisement;
 - (g) segregate or create special classes for students admitted through subsidized or free Coaching Schemes to be notified by the State Government;
 - (h) engage or instigate or promote or facilitate or allow engagement of any tutor or employees of the Coaching Centre in any action or activity against the interest of the State Government;
 - (i) facilitate or post or reshare or follow any post or information made against the State Government on any digital intermediary or platform as defined in the Information Technology Act, 2000;
 - (j) publish or cause to be published or take part in the publication of any misleading advertisement relating to any claim, directly or indirectly, of quality of Coaching or the facilities offered therein, or the result procured by such Coaching Centre or the student who attended such class; and
 - (k) carry out any actions or activities as may be mandated by the Act or Rules made, or Orders issued thereunder.
- (9) The application for registration or establishment of Coaching Centre shall be submitted after including the necessary information, undertakings in the manner and form as may be prescribed and shall be accompanied with non-refundable application fees as may be determined and notified by the State Government in the Official Gazette.
- (10) The Committee shall on receipt of the application, scrutinize it and if found satisfactory shall issue the Letter of Intent to the person within 90 (Ninety) days of receipt of its application:
- Provided that, if the application, in the opinion of the Committee, is not found to be satisfactory, then it may reject it and issue a Letter of Regret stating the reasons for rejection. The person shall have the option to appeal against such a rejection to the State Level Authority within 30 (Thirty) days.
- (11) In case the Committee, does not approve or reject the application within 90 (Ninety) days, the person shall have the option of appeal to the State Level Authority against such delay.
- (12) The Letter of Intent shall consist of the conditionalities to be fulfilled by the Coaching Centre and the time duration for its successful compliance.
- (13) Within 30 (Thirty) days of the issuance of the Letter of Intent, the person shall submit a Performance Bank Guarantee, valid for a period of 06 years from the date of issuance of Letter of Intent, based on the place of operation of the

Coaching Centre as follows: -

- (a) Rs 5,00,000 for areas within Municipal Corporation limit;
- (b) Rs 1,00,000 for areas within Municipality or Notified Area Council (NAC) or other Urban Local Body limit; and
- (c) Rs 50,000 for areas not covered under (a) and (b).

- (14) Within 90 (Ninety) days of the issuance of the Letter of Intent, the person shall submit a compliance report to the conditionalities mentioned in the Letter of Intent:

Provided that, in case the compliance to the Letter of Intent is not submitted by the person within 90 (Ninety) days of its issuance, then the issued Letter of Intent shall be withdrawn and any Performance Bank Guarantee submitted by the person shall be encashed by the Committee or any Officer authorised by the Committee.

- (15) If the Committee is satisfied that the person has complied to all the conditionalities of the Letter of Intent, then it shall approve the registration of the Coaching Centre and issue a Letter to Start Operations, within a period not exceeding 30 (Thirty) days from the submission of the compliance report:

Provided that, in case the Committee is not satisfied with the compliance report submitted by the person, then it may direct submission of additional documents or conduct physical verification of the Coaching Centre by an Inquiry Committee constituted by the Committee or direct resubmission of the compliance report or reject the application received and cancel the issued Letter of Intent. It shall also encash the Performance Bank Guarantee, if submitted and issue a Letter of Regret to the person clearly mentioning the reasons of rejection. The person shall have the option to appeal against the rejection to the Authority within 30 (Thirty) days.

- (16) The validity of registration shall be five years from the date of its issuance, unless cancelled by the Committee or the Authority for any reason.
- (17) All Coaching Centres on successful registration and issuance of Letter to Start Operations shall be provided with a Unique Registration Number named as "CCR-ID".
- (18) This CCR-ID shall have validity till the valid registration of the Coaching Centre and shall be deactivated on its de-registration.
- (19) The Coaching Centres shall prominently mention the CCR-ID in all form of advertisements and communication with the stakeholders.
- (20) The Authority shall have the power to mandate linkage of services, students, counselors or any other entity or activity to this CCR-ID.
- (21) The person shall apply for renewal of registration to the Committee on the Web

Portal at least 06 months prior to the date of expiry of the registration of the Coaching Centre, in such manner and form, and with such a non-refundable fee as may be determined by the Authority along with such documents as may be prescribed.

- (22) The Committee shall, on receipt of an application for renewal of registration through Web-Portal along with the prescribed non-refundable fees, decide on the renewal of registration before the expiry of the registration period.
- (23) The Committee after due evaluation may, renew the registration of the Coaching Centre by extending the validity of the Letter of Start Operations for a subsequent period of up to 05 years or communicate the refusal thereof to the person before the expiry of the registration period, after recording the reasons for such refusal in writing:

Provided that no order refusing the renewal of registration shall be passed after giving the person concerned a reasonable opportunity of to be heard.

- (24) In case the Committee decides not to renew the registration of the Coaching Centre, it shall direct the person to initiate procedures for Winding up and de-registration of the Coaching Centre as per the Winding-up Policy submitted by the Person.
- (25) During the winding up period, the Committee shall appoint an Overseeing Authority to oversee and ensure adherence of the Winding up process.
- (26) The Committee may liquidate the Performance Bank Guarantee of the de-registered Coaching Centre, in case the Coaching Centre is winding up or de-registered before the completion of its valid registration period.

14. Registration of Students

- (1) Any student currently enrolled in any Coaching Centre or willing to enroll in any Coaching Centre established and registered in the State of Jharkhand for Coaching shall mandatorily register on the designated Web Portal:

Provided that, no student below the age of 16 years or not having passed Secondary School examinations (matriculation) shall be allowed to register on the Web Portal and seek Coaching from any Coaching Centre, without explicit written informed consent of his/her parents or guardian.

- (2) On successful registration of the student on the Web Portal, a unique registration number named "CED-ID" shall be allocated.
- (3) The CED-ID may be linked to "Aadhaar" as a Proof of Identity (PoI).
- (4) The CED-ID shall have perpetual validity and in case the student is enrolled in any Institution within the State, the concerned institution may seek submission of the CED-ID during the admission process.

- (5) The State Government may utilize the CED-ID for extension of any benefits to the students through various financial and non-financial Schemes.
- (6) The registration of students shall be carried out in the manner as may be prescribed by the Rules.

15. Registration of Mental Health Counsellors

- (1) It shall be mandatory for all Coaching Centres to engage mental health counsellors certified as Clinical Psychologist or Rehabilitation Psychologist, or having any other certification provided by the Rehabilitation Council of India and deemed to be equivalent by the Authority.
- (2) Each mental health counsellors shall mandatorily register on the designated Web Portal and upon successful registration shall be provided with unique registration number called "CMC-ID", which may be linked to "Aadhaar".
- (3) The person shall ensure that all the mental health counsellors employed or to be employed by him are registered on the web-portal and the CMC-ID allocated to the such mental health counsellors are appropriately tagged with the corresponding CCR-IID of the Coaching Centre.
- (4) The CMC-ID shall have perpetual validity till the mental health counselor is enumerated in the Central Rehabilitation Register with appropriate certification as may be determined by the State Government or the Authority.
- (5) The registration of mental health counselors shall be carried out in the manner as may be prescribed by the Rules.

16. Registration of Tutors

- (1) Any tutor currently employed or seeking employment on full time or part time engagement basis by any Coaching Centre shall not have educational qualifications below the level of Graduation and must be registered on the designated Web Portal.
- (2) On successful registration on the designated Web Portal, tutor shall be provided with a unique registration number called "CTR-ID", which may be linked with their Aadhaar.
- (3) Any tutor currently employed by an Institution must provide all the details regarding their present and past employment on the Web Portal during the registration process.
- (4) The CTR-ID shall have perpetual validity until de-activated by an order from the Authority.
- (5) Each CTR-ID shall be linked to concerned CCR-ID, in case the tutor accepts full time employment or part time engagement by any Coaching Centre.
- (6) The registration of tutors shall be carried out in the manner as may be prescribed by the Rules.

17. Operations of the Coaching Centre

(1) From the date of successful registration and receipt of CCR-ID, the person operating the Coaching Centre(s) shall comply with the following conditionalities:-

(a) all students currently enrolled or to be enrolled in any course of the Coaching Centre shall mandatorily register on the designated Web Portal and obtain their CED-ID. Further, each CED-ID shall be linked to the CCR-ID of the Coaching Centre;

(b) Mental Health Counsellors with a valid CMC-ID, shall be engaged and their CMC-IDs shall be linked to the CCR-ID of the Coaching Centre:

Provided that, a single CMC-ID shall not be linked to more than one active CCR-ID;

(c) all tutors of the Coaching Centre must be registered on the designated Web Portal and their CTR-ID's must be linked to the CCR-ID of the Coaching Centre. All tutors with their CTR-ID's shall be prominently displayed on the official website of the Coaching Centre;

(d) the monthly attendance report, progress report, assessment report or any other report as determined by the Authority, of each student enrolled in the Coaching Centre shall be shared with the concerned student and the compliance of such sharing must be submitted against the CED-ID on the Web Portal;

(e) the hours of operation of Coaching Centre shall be between 06:00 AM to 09:00 PM by the Authority;

(f) the number of students enrolled in each batch shall not exceed the number of seats proposed by the Coaching Centre, as mentioned in the application for registration of Coaching Centre;

(g) may conduct an admission or mock test to assess the capability of the student and assist in understanding the ability of the Coaching Centre such that there are no over expectations;

(h) shall not discriminate against any student on the basis of religion or race or caste or sex or place of birth during the admission process;

(i) conduct periodic workshops and sensitization sessions regarding students' mental health by engaging mental health counsellors;

(j) create awareness amongst students and parents regarding the pedagogy, the timeline of the course, and the facilities available in the Coaching Centre;

(k) on specific requests of the student, anonymize the results of any public examination or assessment and make available counselling sessions for underperforming students;

-
- (l) clearly and prominently indicate the CED-ID and the details of the course enrolment while publishing the success of its enrolled students in any examination;
 - (m) take written and informed consent of the student before using their name, photograph, CED-ID, testimonial or videos for advertisement, publicity and dissemination purposes;
 - (n) carry out regular financial audits and maintain proper financial records of the Coaching Centre;
 - (o) formulate policies related to fee payment, refund, transfer, entry and exit, allowing flexibility for students in payment of course fees and timely refund in case the student exit from the Coaching Centre during the course duration;
 - (p) make available all its policies on the official website of the Coaching Centre and embed it in admission forms, prospectus or in any form of advertisement appropriately;
 - (q) establish an internal toll-free number or helpline for 24 x 7 assistance in case of exigent circumstances;
 - (r) carry out Annual Financial Audits of the Coaching Centre within 03 months of the completion of the financial year through firms of Chartered Accountants who have no interest in the affairs of the Coaching Centre;
 - (s) upload and submit the Audited Report along with audited statements on the web-portal within the time limit as may be prescribed;
 - (t) prepare a detailed Annual Report detailing out the activities carried out by the Coaching Centre and publish it on its website within three months of the completion of financial year for public access; and
 - (u) undertake the implementation of orders as may be issued by the Committee or Authority.
- (2) Coaching Centres providing the facility of hostels, paying guests or any form or manner of accommodation to students, shall comply to the following conditionalities in addition to the conditionalities mentioned in sub-section (1): -
- (a) ensure that there are separate rooms for male and female students with designated male and female wardens to ensure 24 x 7 assistance to students;
 - (b) comply fully with all the provisions for hostels in educational institutions as mentioned in the National Building Code, 2016 and as amended from time to time;
 - (c) ensure that proper CCTV surveillance is maintained in the hostels and the backup of CCTV footages is maintained for at least 90 days; and

(d) comply with any Orders as may be issued from Competent Authority from time to time.

18. Compliance to the Guidelines issued by Central Consumer Protection Authority

All registered Coaching Centres shall comply with the guidelines issued by the Central Consumer Protection Authority, to such extent that they are non- inconsistent with the provisions of this Act, or Rules made, or Order issued thereunder.

19. Interpretation

If any question arises with regard to the interpretation of any of the provisions of this Act, or Rules made, or Order issued thereunder, the decision of the Authority shall be final and binding on all parties.

20. Power to Issue Order

The State Government and the Authority shall have absolute power to issue any Order, from time to time, as may be required or as it may deem fit for compliance of any provisions which may be made by under this Act or Rules made thereunder, and it shall be mandatory for all Coaching Centres to implement it.

21. Protection of all Acts and Orders

All acts done and Orders passed in good faith by the Authority or Committee or any of its members or authorised Officer(s) shall, subject to the other provisions of this Act, be final; and accordingly, no suit or other legal proceedings shall be instituted against, or maintained, or damages claimed from such Authority or Committee or any of its members or authorised Officer(s) for anything done or passed, or purporting to have been done or passed in good faith and in pursuance of the provisions of this Act or Rules made thereunder.

22. Acts and Proceedings not to be Invalidated by Vacancy, etc.

- (1) No act or proceeding of the Authority or Committee, shall be deemed to be invalid at any time merely on the ground that –
 - (a) any of the members of any such authority are not appointed or nominated or for any other reason are not available to take office at the time of the constitution or to attend any meeting thereof or any individual holds more than one post or there is any other defect in the constitution thereof or there are one or more vacancies in the offices of members thereof; and
 - (b) there is any irregularity in the procedure of any such authority, body or committee not affecting the merits of the matter under consideration, and the validity of such an act or proceeding shall not be questioned in any court or before any authority or officer merely on any such ground.

23. Maintenance of Records

- (1) All registered Coaching Centres shall maintain and produce such records, accounts, registers, or other documents, as may be required by the Committee or the Authority.

- (2) The Coaching Centre shall submit the annual report to the Authority and the Committee for the record.

24. Restriction on shifting of Coaching Centre

All registered Coaching Centres shall conduct Coaching only at the place of operation indicated in the registration certificate and shall not be allowed to shift or relocate to any other place than its place of operation as mentioned in the Letter to Start Operations, without prior approval of the Committee. The procedure for application and grant of such approval shall be as prescribed by the Rules

25. Power to Conduct Inquiries

The Authority or Committee, or any other Officer authorized by the Authority or the Committee shall have the power to conduct inquiries regarding activities of the Coaching Centre, its satisfactory performance and compliance with any provisions of the Act or Rules made thereunder.

26. Disposal of complaints and Imposition of Penalties

- (1) A complaint may be filed before the Committee against any Coaching Centre by any student, parent, tutor or any employee of the Coaching Centre or by any member of the public at large.
- (2) If the Committee is satisfied, based on material and substantial evidence provided in the complaint, that the Coaching Centre is in non-compliance of or is not functioning as per the provisions of the Act, or Rules made thereunder, it may issue a Show Cause Notice, with a copy of such complaint, to the concerned Coaching Centre and the person, directing them to submit their reply within the time period as specified in the Show Cause Notice:

Provided that, if the Committee is of the opinion that material and substantial evidence has not been provided by the Complainant, it may constitute an Inquiry Committee to carry out preliminary inquiry of the complaint and submit its inquiry report within a specified time period or dismiss the complaint by clearly stating the grounds for such dismissal.

- (3) The Inquiry Committee constituted under sub-section (2) of this section during the course of its inquiry shall have to power to: -
- (a) enter at any reasonable time into any such premises and search for any document or record or article or any other form of evidence and seize such document, record, article or such evidence;
 - (b) make a note or an inventory of such record or article; and
 - (c) require any person to produce any record, register or other document or article.
- (4) The provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, relating to search and seizure, shall apply, as far as possible, to the search and seizure carried under sub-section (3) of this Section.

- (5) Every document, record or article seized under sub-section (3)(a) or produced under sub-section (3)(c) shall be returned to the person, from whom they were seized or who produced the same, within a period of 90 (Ninety) days of the date of such seizure or production, as the case may be, after copies thereof or extracts therefrom certified by that person, in such manner as may be prescribed, have been taken.
- (6) Based on such inquiry report submitted by the Inquiry Committee, if the Committee, is satisfied, that the Coaching Centre is in non-compliance of or not functioning as per the provisions of the Act, or Rules made thereunder, it may issue a Show Cause Notice, with a copy of such complaint, to the concerned Coaching Centre and the person, directing them to submit their reply within the time period as specified in the Show Cause Notice:
- Provided that, in case, based on the report submitted by the Inquiry Committee, the Committee, is satisfied, that the Coaching Centre is functioning as per the provisions of the Act, or Rules made thereunder, then it may dismiss the complaint.
- (7) If the Committee is not satisfied with the reply submitted by the concerned Coaching Centre and the person it may impose penalties as per provisions of this Act. The Committee shall dispose-off the complaints by passing appropriate Orders for all such complaints within 90 (Ninety) days of its receipt, after providing both parties with an opportunity to be heard:
- Provided that, in exigent circumstances the Chairperson of the Committee shall be authorised, on behalf of the Committee to issue directions or Orders for immediate and swift disposal of any complaint.
- (8) The Coaching Centre or the complainant may file an appeal against the order passed by the Committee under sub-section (7) to the Authority within 30 (Thirty) days of such an order being passed.
- (9) The Committee shall have the power to levy penalties on the Coaching Centre in case of any violation under any provisions of this Act or Rules made, or Order issued thereunder.
- (10) The graded mechanism for imposition of penalties for violations by Coaching Centre under this Act shall be as follows: -
- (a) up to Rs 5,00,000 for first offence;
 - (b) up to Rs 10,00,000 for second offence; and
 - (c) cancellation of registration of the Coaching Centre for any subsequent violation and issuance of directions to make suitable compliances within 60 days.
- (11) The penalties issued under sub-sections (10)(a) and (10)(b), may be imposed, without prejudice, over and above, the penalty specified in any other law, for the time being, in force:

Provided that, no penalty shall be imposed on Coaching Centre, without providing it an opportunity to be heard.

- (12) The penalties such imposed shall be recovered as per the procedure prescribed by the Rules.
- (13) If the Coaching Centre fails to make necessary improvements as per the directives issued by the Committee under sub-section (10)(c), it may recommend blacklisting of the person to the Authority.
- (14) In case the Coaching Centre or the associated person continues to conduct Coaching, after deregistration or blacklisting, then appropriate legal actions shall be initiated against the person under the applicable provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.
- (15) If the Coaching Centre committing a violation under this Act is a Society or Trust or Limited Liability Partnership, every individual who at the time of such contravention being committed, was in charge of and was responsible to the Society or Trust or Limited Liability Partnership, for the conduct of its affairs, shall be deemed to be guilty of the violation and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that, nothing contained in this sub-section shall render any individual liable to the punishment if he proves that the violation was committed without his knowledge or that he had exercised all the diligence to prevent commission of such violation.

- (16) In case of the Coaching Centre being operated by a person through a franchise agreement, has violated any provision of this Act or Rules made thereunder or Orders issued by the State Government or the Authority or Committee, the Franchiser and the Franchisee shall also be held equally accountable and will be considered to be in violation of this Act and liable for penalties under this Act.
- (17) The Coaching Centre, if unsatisfied, with the penalty imposed by the Committee, may appeal to the Authority within 30 (Thirty) days of imposition of such penalty, and the decision of the Authority shall be final and binding on all parties.

27. Winding up of Coaching Centre

- (1) If any person proposes to wind-off the Coaching center within its valid period of registration, for any reason in accordance with its wind-off policy, it shall provide a written notice 90 (Ninety) days before the expiry of registration or completion of last batch, whichever is earlier to the Committee.
- (2) On receipt of notice referred to in sub-section (1), the Committee shall appoint an Overseeing Officer not below the rank of Sub Divisional Officer to ensure that the person under whom the Coaching Centre has been registered, has made necessary arrangements for course completion of students enrolled in the

Coaching Centre and fees has been refunded as per the fee refund policy of the Coaching Centre.

28. Power to make rules

- (1) The State Government, by notification published in the Official Gazette, may make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) Every rule made under this Act shall have the effect as if enacted in this Act.

29. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notification in the *Official Gazette*, make such provisions, not inconsistent with this Act, as it deems necessary or expedient for removing the difficulty.

30. Exemption for Institutions

Any Institution operating or offering remedial classes or preparation for competitive examinations within its premises shall be exempted from the provisions of this Act:

Provided that, for institutions providing Coaching to students through any Scheme of the State Government or Government of India, the provisions for creation of Unique Registration ID under applicable provisions Section 13, 14, 15, and 16 of this Act may be applicable.

31. Language of Authoritative Text

Notwithstanding anything contained in this Act, if there is any inconsistency or discrepancy between the Hindi version and the English version of the Act, the English version of the Act shall prevail.

32. Act to override other laws

The provisions of this Act shall have an overriding effect, notwithstanding anything inconsistent therewith, contained in any other law, for the time being in force.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची।
